

शास्त्रार्थ आगरा

ओ

सा० १९ । २० । २१ फ़रवरी सन् १९०१ ई० तक

आर्यसमाज आगरा

और

पं० भीमसेन शर्मा

से

मृतकश्राद्ध विधि पर हुवा

जिस की

आर्यसमाज आगरा ने तुलसीदासस्वामी से लेखकद्वारा हस्ताक्षरयुक्त
प्रतिपद का संग्रह और अनुवाद कराकर

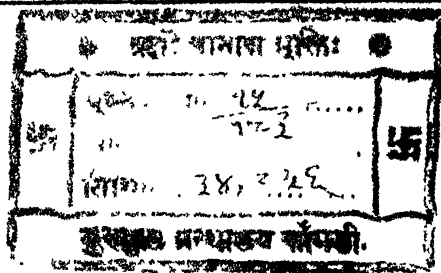
स्वामियन्त्रालय-मरठ

में छपवाया

प्रथमवार १५००

संवत् १९५८ चैत्र

मूल्य २)



ओ३म् निवेदन

इस शास्त्रार्थ में दोनों ही वादी और दोनों ही प्रतिवादी भी थे, अतः शास्त्रार्थ के लेख प्रतिलेख दो २ बहुत जगह एकत्र आपड़े हैं जिन को छापने में यथासम्भव किस पृष्ठ में छपे किन लेख का किस पृष्ठ में किस की ओर से क्या उत्तर है। यह बात उस २ स्थान पर जतलाने का उद्योग किया है तथापि पाठकों को बहुत सावधानी से पढ़ने में विषय का यथार्थ बोध होगा। इस लिये प्रार्थना है कि धैर्य से पूर्वपक्ष और उत्तर पक्षों को मिला २ कर आदि से अन्त तक सब पढ़ें और अन्तिम पृ० ५६।५७ में इस का निगमन (निचोड़ वा सार) भी अवश्य पढ़ें जिस से सब ठीक २ भेद ज्ञात होजावे

किस का पक्ष सिद्ध हुआ, यह पाठकों पर ही छोड़ दिया गया है। पढ़ कर समझ लें। जुबानी शास्त्रार्थ को इस में इस लिये नहीं छापा है कि प्रायः अब भी इस लेख का ही व्याख्यान था और ओताओं ने ही सत्यवृत्तान्त ज्ञात कर लिया। वादी प्रतिवादी कुछ कल्पना करके अपना २ विजयनाद बजावें तौ कीई विश्वास न करेगा ॥

ओम्

शास्त्रार्थ आगरा

—=×*=—

श्री पं० भीमसेन शर्मा जी इटावा-निवासी ने निम्न लिखित
पत्र प्रथम सर्वत्र फैलाया

ओम्-वर्तमान आर्यसमाज से भेरे पृथक् होने का कारण
(तथा धर्मान्दोलनार्थ सूचना)

सर्वसाधारण महाशयों को विदित हो कि यद्यपि पूर्वकाल से भी मैं वेदादि शास्त्र के अनुकूल ही लिखने, कहने तथा मानने का उद्योग करता रहा—तथापि १९४३ से मुझे एक यज्ञ कराने के लिये श्रीतस्मार्त्तकर्मकाण्डमन्त्र्यी वैदिकग्रन्थ विशेष कर देखने पड़े तब से विशेषकर ज्ञात हो गया कि वर्तमान आर्यसमाज वेदोक्त धर्म कर्म की वास्तव में नहीं मानता। आर्यसमाज में केवल वैदिक धर्म शब्द का प्रचार मात्र है परन्तु वैदिक धर्म के तत्त्व को जानने वा मानने वालों का अभाव सा है। जब मुझे अनुमान १॥ वर्ष से ऐसा ज्ञात हुआ कि आर्यसमाज में वैदिकधर्म का अभावसा है, तभी से मैं इस समुदाय से अलग हो गया था। बीच में यह भी विचार मन में आया कि ये लोग धर्मानुकूल सुहृद्भाव से मुझे समझा दें वा मुझ से कोई समझ लेवे तो अच्छा है। इसी कारण मैंने इन्द्रप्रस्थ में (आग्रहाश्रम वि० ५९ सं०) जब कि सनातनधर्म सभाओं का वृहत्सम्मेलन था, लाला मुन्शीराम जी तथा सेठ लच्छीराम जी, सं० नारायणप्रसाद जी आदि सभ्यपुरुषों के सम्मुख यज्ञकर्मन्तर्गत स्व-निश्चित पितृश्राद्ध को विचारपक्ष में लेना स्वीकार किया था, जैसा कि मैं आर्यसिद्धान्त भाग १० अं० ७-९ के पृ० ४५ में पूर्व ही छपा चुका था, परन्तु आश्चर्य कि पंजाब तथा पश्चिमोत्तरप्रदेश की प्रतिनिधिसभाओं के अलग-

न्ताओं ने प्रतिज्ञा करने पर भी इन विषयों के विचार के लिये कुछ भी सद्योग न किया वरन कृपा कर मेरी सुआशा को निराशा में मिला दिया ॥

यद्यपि मैंने १॥ वर्ष से समाज में जाना भी छोड़ दिया था और आर्यसिद्धान्त भाग १० के १०-१२ अङ्कों में छपा भी चुका था कि जब तक मेरे विचारपक्षस्थ यज्ञादि कर्म का ठीक २ निर्णय न हो तब तक मुझे कोई आर्य न समझे, मैं वर्तमान आर्यसमाजी नहीं हूँ । विचार का स्थान है कि जब मैं आर्यसमाज से स्वयमेव प्रकट करके पृथक् होगया था तो (इस लोगो ने इन भी० श० की आर्यसमाज से पृथक् कर दिया) ऐसा छपा कर प्रकाशित करना क्या आवश्यक वा उचित था ? (ऐसे द्वेषपूर्वक हुवे वा होने वाले आक्षेपों का कुछ भी उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता) तथापि मैं उन महाशयों के इस प्रस्ताव को अपने लिये विशेष कर हितकारी समझता हूँ अर्थात् मेरी चाहना को इन आर्यलोगों ने पूर्ण किया । अब मुझे इस का बड़ा हर्ष है कि मेरे साथ किसी मत का बन्धन नहीं रहा केवल वेदशास्त्रों का बन्धन तो मुझे सर्वदा रखना स्वीकार ही है । मैं आर्यप्रतिनिधिसभा मुरादाबाद को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पूर्व प्रस्ताव को प्रचारान्तर में स्वीकार किया है । मैं आर्यसमाज तथा धर्मसभादि के सभी समुदायों से मेल रखूंगा, मेरा किसी से द्वेष वा घैर नहीं है । सब के लिये निष्पक्ष वेदानुकूल सत्य धर्म को कहूंगा वा लिखूंगा । आर्यसमाज में भी अनेक मनुष्य धर्माग्वेषी, धर्म के शत्रु हैं, उन के लिये तथा अन्य धर्म से प्रेम रखने वालों के लिये अब अच्छा समय आया ॥

मेरे साथ वर्तमान आर्यसमाज का जो विवाद हुआ उस का कारण केवल श्राद्ध वा मेषमेघी ही नहीं है किन्तु सभी वैदिक कर्मकाण्ड विवाद का हेतु है । मैं स्पष्ट कहता हूँ कि आर्यसमाज श्रीमान् स्वामिदयानन्द सरस्वती जी के मन्तव्य पर भी आरुढ़ नहीं हैं इसीलिये संस्कारविधि भी आर्यों में ठीक २ नहीं मानी जाती । धर्म के अग्वेषी, शत्रु, धर्म के प्रेमी आर्य वा हिन्दु सब लोगो की सेवा में मेरा विशेष कर निवेदन यह है कि वे महाशय मेरे इस कथन पर विश्वास और शान्ति सन्तोष रखें कि श्राद्ध वेदोक्त है । जीवित माता पितादि की सेवा शुश्रूषा यद्यपि कर्त्तव्य धर्म है, तथापि उस का नाम श्राद्ध नहीं है और जिज्ञासुलोगों की अवश्य ही ठीक २ इस का निर्णय होजायगा । तथा हठी लोग कदापि नहीं मानेंगे । यह धर्म का विचार

है कोई लेभगई का काम नहीं है जो शीघ्र ही मन माना छपाकर कोई मिट्ट कर लेवे । मैं जिज्ञासु लोगों को थोड़े काल में अमणकर २ इस विषय का ठीक २ निश्चय करादूंगा तथा लेख द्वारा भी प्रसाणादि दंकर निश्चय कराऊंगा, थोड़ा सन्तोष करें ॥

मुझे ठीक २ निश्चित विश्वास है कि मेरे साथ निष्पक्ष हो कर सुहृद्भाव से कोई सुबोध शास्त्रज्ञ पुरुष कर्मकाण्डविषय में चार छः दिन भी विचार करे तो मुझे मनवा दे वा मेरी खान को वह मानले। मैं पूर्व से भी ऐसा चाहता था और अब भी चाहता हूं पर इस की आशा बहुत कम है । और आहुति के विषय में कोलाहल सम्प्रति अधिक है । लिखने वाले सम्प्रति अविद्वान् अनेक हैं । अपने २ संस्कारों के अनुसार सब लिखते हैं । अनेक लिखने वालों का मैं एक मनुष्य उत्तर दे भी नहीं सकता और जो उत्तर दे भी सकता हूं तो भी इनने मे ही धर्मजिज्ञासुओं को किसी प्रकार का सन्तोषदायक विशेष निर्णय शीघ्र प्राप्त हो नहीं सकता । इस लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आहुति कर्म, मुख्य वैदिक धर्म है वा कोई अन्य वैदिकधर्म है इत्यादि निर्णय होना अवश्य चाहिये । इस कारण मैंने इस कार्य की मिट्टि का सुगम उपाय यह सोचा है कि मैं देशाटन करके वैदिकधर्म का निर्णय करूं कराऊं । यद्यपि पूर्वकाल से यह रीति थी कि जिज्ञासु लोग ज्ञानदाता के निकट आया करते थे पर अब ऐसा समय नहीं है । इस से मैं ही जिज्ञासुओं के पास जा जाकर उपदेश करूं, यह विचार स्थिर किया है । परन्तु इस दशा में छापेखाने आदि का प्रबन्ध वा भार मुझ से कोई सच्चा धर्मात्मा सर्वथा ही लेनवे वही अधिकारी वा अध्यक्ष बन के अपनी इच्छानुसार इस का प्रबन्ध करे। यदि कोई महाशय कार्यालय का पूर्णाधिकार लेना चाहें तो वे मेरे साथ पत्रव्यवहार करें। अथवा कोई अच्छा अभिज्ञ संस्कृतज्ञ पुरुष इस का मेनेजर प्रबन्धकर्ता नियत होकर मेरी ओर से ही चलावे। ऐसा होने पर देशाटन हो सकेगा । यदि कोई संस्कृतज्ञ महाशय प्रबन्ध करना चाहें तो वे मुझे लिखें, वेतन यथोचित पत्रद्वारा निश्चित होगा । मैं इस पर्यटन को वैदिकधर्म प्रचार के लिये विशेष उपकारी समझता हुआ अवश्य करना चाहता हूं । इस लिये जिज्ञासु लोग मुझे सूचना दें कि अमुक २ प्रान्त में इस लोग आहुति वैदिकधर्म कर्म का निर्णय करना कराना चाहते हैं । उन २ महाशयों

का नाम पता पर्यटन के रजिस्टर में लिखा जावे और जिस प्रान्त में जिज्ञासुओं की अधिकता देखी जाय उधर को पहिले प्रस्थान किया जाय ॥ इति ॥

आप का—भीमसेनशर्मा—इटावा

आगरा आर्यसभाज ने इस का यह उत्तर दिया कि—

ओ३म्

धर्मान्दोलनार्थ शास्त्रार्थ की सूचना

— ∞ % @ % ∞ —

श्रीमान् पण्डित भीमसेन जी शर्मा महाशय ! नमस्ते

शाप की धर्मान्दोलनार्थ सूचना के सम्बन्ध में आप से यह प्रार्थना है कि आर्यसभाज आप के निश्चित मृतकपितृश्राद्ध पर सच्चास्त्रानुसार शास्त्रार्थ करने की सर्वथा उद्यत है और अब जब कि आपने स्वयं लोगों को ज्ञान देने की प्रतिज्ञा की है तो जिज्ञासुओं और धर्मानुरागियों की विशेष कर यह अस्मिता है कि इस विषय पर यदि सम्भव हो तो आप से ज्ञान लें, नहीं तो यदि आप का ही निश्चित सिद्धान्त भ्रममूलक हो तो उस का निर्णय यथावत् होजावे । मनुष्य देह वार २ नहीं मिलता है और न सब मनुष्यों की स्वयं शास्त्र पढ़ने, देखने और विचारने का अवसर मिल सक्ता है और यह तो निश्चित ही है और आप को भी स्वीकृत होहीगा कि सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करने के लिये मनुष्यमात्र सों सर्वथा उद्यत रहना चाहिये । इस लिये आर्यसभाज आगरा ने इस धर्मान्दोलन की अतीव आवश्यक समझकर यह निश्चित किया है कि अपने (आगरा आर्यसभाज के) आगामी २१ वें वार्षिकोत्सव पर आप और आर्य प्रतिष्ठित उपदेशक विद्वान् इस विषय पर पूरा २ आन्दोलन करें । इस लिये आप से यह प्रार्थना है कि आप कृपा करके इस अवसर को हाथ से न जाने दें और अवश्य ही प्रेमपूर्वक केवल धर्मान्दोलनार्थ शास्त्रार्थ स्वीकार करें । इस से दो लाभ तो स्पष्ट दीख पड़ते हैं १—यह सम्भव है कि आप का निश्चित सिद्धान्त आप के पहिले सिद्धान्तों की तरह भ्रममूलक हो, तो आप की ही भ्रान्ति दूर हो जावेगी और यदि किसी प्रकार आप का ही वर्तमान सिद्धान्त वेदानुकूल निकले तो आर्यसभाज को भी बहुत बड़ा लाभ होगा । २—आप की उक्त सूचना से यह प्रतीत होता है कि आर्यसभाज में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जोकि आपके निश्चित

सिद्धान्त पर आप से विचार करने के लिये उद्यत हो, परन्तु आगरा आर्य-समाज का यह अनुभव और विश्वास है कि बहुत से विद्वान्, शास्त्रवेत्ता, धर्मप्रेमी बड़े उत्साह से इस विषय पर विचार करने के लिये उद्यत हैं। इस से सर्वसाधारण की यह निश्चित होजायगा कि आर्यसमाज अन्यपरम्परा पर चलने वालों का समुदाय नहीं किन्तु सत्य के ग्रहण के लिये सदैव उद्यत है। इस लिये आप अवश्य ही कृपा करके ता० १७, १८, १९ फरवरी सन् १९०१ पर आगे पधारे और आर्यसमाज आगरा आप के आने जाने और ठहरने का कुल खर्च अपने ऊपर लेने को तैयार हैं॥

आप का दर्शनाभिलाषी सेवक

कृपाशङ्कर प्राज्ञ

मन्त्री आर्यसमाज आगरा

इस पत्र के उत्तर का प्रत्युत्तर पहुंचने में देरी होने से पं० भीमसेन जी ने आगरा समाज को लिखा कि—

ओ३म्

सरस्वती प्रेस—इटावा ९।२।०१

श्रीमन् महाशय ! नमस्ते

आप की सेवा में ता० ६।२।०१ की रजिस्ट्री पत्र भेज चुका हूं उत्तर आज तक नहीं आया। मैं शास्त्रार्थ का स्वीकार लिख चुका हूं। आप जब तक उत्तर न दें तब तक मेरे आने का निश्चय नहीं हो सकता। आप पर बुलाने का भार है। मैं प्रथम भी लिख चुका हूं। आप अतिशीघ्र उत्तर दें। उत्तर न आने पर शास्त्रार्थ रुक जाने के कारण आप लोग ही होंगे॥

आप का—

भीमसेनशर्मा

और साथ ही १०) पांच मनुष्यों के मार्गव्ययार्थ पं० भीमसेन जी के पास भेजा गया, जिस की प्राप्ति का स्वीकार पूर्वनाम पं० सुन्दरलालशर्मा वर्तमान नाम सत्यव्रतशर्मा (जो पं० भीमसेनशर्मा के जामाता व सरस्वतीयन्त्रालय के प्रबन्धकर्ता हैं) ने इस प्रकार दी कि—

आप का भेजा हुआ १०) रु० प्राप्त हो गया । पं० जी आर्षेगे अवश्य ३ विजयीर गये वहां से सीधे आर्षेगे ॥

मवत्सु० सत्यव्रतशर्मा आर्य

इस से पूर्व पं० भीमसेन जी का यह पत्र आ चुका था कि—

ओ३म्

सं०

१० । २ । ०१

सरस्वतीप्रेस इटावा

श्रीमान् ! महाशय ! नमस्ते

कृपापत्र उपलब्ध हुआ, वृत्त ज्ञात हुआ । हम आप के लेखानुसार जैसा कि हम पूर्व लिख चुके हैं, अर्थात् १८ । १९ फ़रवरी तक आगरा पहुंचने का अवश्य उद्योग करेंगे। आप का भेजा हुआ रुपया भी कल प्राप्त हो जायगा यह आशा है । रहा यह कि चतुर्थ नियम से वहां आने पर जैसा होगा वैसा निश्चय हो जायगा ॥ किमधिकम् ॥

भवच्छुभेच्छुः—भीमसेन शर्मा

तदनुसार १६ ता० को आगरे आकर पं० भीमसेन जी ने सभाज की निम्नलिखित सूचना दी कि—

ओ३म्—

श्रीमान्—मन्त्री आर्यसभाज—आगरा—योग्य

मैं आज ता० १६ को १२ बजे दिनके आगरे में आप के बुलाने अनुसार आ गया हूं । आप शास्त्रार्थ की तयारी यथासम्भव शीघ्र करें जिस से व्यर्थ समय न जावे । शास्त्रार्थ का स्थान यहां के किसी रईस का हो तो अच्छा है । तथा समय नियत होना आदि भी विचार स्थिर कीजिये । मेरी प्रकृत्यनुसार यह स्थान (सनाढ्यसभा का मन्दिर) विशेष कर था—इस से यहाँ ठहरना उचित समझा गया । उत्तर शीघ्र देवें ॥

ता० १६ । २ । ०१ ई० वजीरपुरा आगरा—आप का—भीमसेन शर्मा

नोट—क्या आप को मयुरा में यह मन्त्र नहीं दिया गया कि सभाज के किसी स्थान पर आप न ठहरें, किन्तु सनातनधर्मियों के स्थान पर ठहरें ?

यह पत्र सायंकाल को सभाज में आया था । अगले दिन प्रातः दूसरा पत्र आया कि—

ओ३न्-आगरा-वजीरपुरा ता० १७ । २ । ०१

श्रीमान् मन्त्री आर्यसमाज आगरा योग्य—

आप की सेवा में कल एक पत्र भेज चुका हूं कि मैं आप के बुलाने में शास्त्रार्थ के लिये आ गया, आप शास्त्रार्थ की शीघ्र तयारी करें, पर आप ने मेरे उस पत्र का अब तक कुछ उत्तर नहीं दिया। मैं नियमादि स्थिर करने के लिये ही एक दिन पहिले में आया हूं। आप २४ घण्टा पहिले मुझे यह भी सूचित करें कि मेरे साथ कौन पं० महाशय आप की ओर से शास्त्रार्थ के लिये नियत होंगे। कृपा कर आप अपनी ओर से शास्त्रार्थ के विशेष नियम भी लिख भेजिये, जिन को देख कर मैं अपनी राय लिखूंगा। और शास्त्रार्थ लेखबद्ध तो होना ही चाहिये, इस को तो आप भी अच्छा ही समझेंगे। लिखा पढ़ी में देर होना सम्भव है इस लिये आप भी उचित समझ कर दो भद्र पुरुष भेजिये जो यहां आकर समझ में सब विचार स्थिर कर लेंगे ॥

आप का—भीमसेन शर्मा

इस पत्र के उत्तर में पत्रद्वारा नियम स्थिर करने से काल वृथा व्यतीत अधिक होगा, इस विचार में समाज के मन्त्री आदि कई पुरुष पं० भीमसेन जी के पास चले गये और जुबानी यह स्थिर कर आये कि जैसा नीचे के पत्र से जाना जायगा। परन्तु पं० भीमसेन जी ने उस स्थिरता पर भी यह कहा था कि कुछ देर विचार करके पक्का विचार होगा। इस लिये वहां लिखा पढ़ी न हो सकी। पं० भीमसेन जी के पक्के विचार की प्रतीक्षा करके ३॥ बजे दोपहर को निम्नलिखित पत्र समाज ने पं० भीमसेन जी के पास भेजा—

नं० १

ओ३म्

श्रीयुक्त पं० भीमसेन जी ! नमस्ते

आप के ता० १७ । २ । ०१ के पत्रानुसार आप की सेवा में उपस्थित हो कर मैंने निवेदन किया था और आप ने स्वीकार किया था। तदनुसार आप को सूचित करता हूं कि कल ता० १८ को १० बजे से २ बजे दिन तक ४ घंटे तक प्रतिदिन शास्त्रार्थ होना चाहिये। जिस में—

१—आप और आर्यसमाजस्थ पण्डित लोग श्रीमद्दयानन्द अनायालय आगरे में पधारें।

२—स्थान के १ भाग में आप और आप के सहायक पण्डित और दूसरे

भाग में आर्यसमाजस्थ परिहृत बैठ कर एक २ घंटा समय तक लेख प्रति लेख करते जावें और हस्ताक्षर करके एक दूसरे के पास भेजते जावें ॥

३-समयविभागादि के ठीक बर्ताव कराने के लिये मुझे नियत किया गया है ॥

४-इस ४ घंटे में जो लेख प्रतिलेख हुआ करेगा वह सुस्पष्ट करके प्रतिदिन रात्रि में ७ बजे से १० बजे तक ३ घंटे में डेढ़ २ घंटे के दो भाग करके अपने २ व्याख्यानों द्वारा सर्वसाधारण को सुना दिया जाया करेगा ।

५-शास्त्रार्थ में आप मृतपितृनिमित्तक पिण्डप्रदान सर्वाङ्ग सिद्ध करेंगे । और आर्य लोग उस का खण्डन करेंगे ॥

कृपाया हस्ताक्षर करके उक्त विधान को स्वीकृत कर भेजिये १९।२।०१ समय ३॥ बजे

कृपाशङ्कर-मन्त्री आर्यसमाज

ऊपर का लिखा पत्र लेकर मनुष्य वजीरपुरा आगरा को गया ही था कि इतने में अनुमान ४।। बजे पं० भीमसेन जी का एक पत्र जो आगे छपा है, एक विज्ञापन के साथ आया । वह विज्ञापन भी पाठकों के अवलोकनार्थ आगे छापते हैं । देखिये तो सही इस चातुर्य को कि आर्यसमाज की ओर से यह विज्ञापन बंटवाया जावे कि जिस से बिना ही शास्त्रार्थ के आर्यसमाज ने पं० भीमसेन जी के पक्ष को स्वीकार करलिया समझा जावे । भला इन चातुर्यों को समाज न समझता ! !

पं० भीमसेन जी का पत्र और विज्ञापन यह था:-

ओ३म्

वजीरपुरा-आगरा १९ । २ । ०१

श्रीमान्-मन्त्री आर्यसमाज आगरा योग्य

आप प्रातःकाल मेरे पास आये और जैसी रीति शास्त्रार्थ के लिये आपने कही वह अधिकांश मुझे स्वीकार है । उस में एक तो निवेदन है कि आप जो कुछ कहते हैं वे सब नियम लिख दें ॥

द्वितीय यह है कि मेरे लिये व्याख्यान का स्थान अन्य कोई मकान हो और आप लोगों का व्याख्यान अपने आ० स० के स्थान में रहे । मैं भी वहीं आकर सुना करूंगा तथा नोट करूंगा । और यदि आप चाहें कि मेरा भी व्याख्यान आ० स० के मकान में ही हो तो इस विज्ञापन को आप अपनी ओर से छपा कर ५०० मेरे पास भेज दें । मैं बटवा दूंगा ।

तृतीय यह है कि आर्यसमाज में किसी की ओर से असभ्य अनुचित वा कठोर व्यवहार न होने की प्रतिज्ञा आप लिखें ॥

चतुर्थ यह कि शास्त्रार्थ की अन्त समाप्ति के दिन मेरा ही व्याख्यान हो, आप इस का स्वीकार भी लिखिये ॥

शास्त्रार्थसम्बन्धी सब नियमों पर दोनों के हस्ताक्षर होकर दोनों के पास रहें ॥

लिखने के समय लिखने वाला स्वयं अपने ही हस्ताक्षर करे, ऐसा न हो कि अन्य के लेख पर अन्य कोई एक ही हस्ताक्षर करता रहै ॥

आप का—भीमसेन शर्मा

विज्ञापनम्

आगरा—निवासी सर्वसाधारण भद्र पुरुषों को सूचित किया जाता है कि जिस सृनकआहु का वर्तमान आर्यसमाज खगडन करता है, उसी सृनक आहु विषय पर इटावा—निवासी पं० भीमसेन शर्मा आज ता० फरवरी सन् १९०१ को बजे से स्थान में व्याख्यान देंगे अर्थात् मरे हुये पिता आदि का आहु करना वेद तथा आर्पणग्रन्थों से सिद्ध करेंगे । आशा है कि सब सज्जन पुरुष इस वेदोक्त धर्म को सुनने के लिये कृपा कर पधारेंगे और हम लोगों को कृतार्थ करेंगे ॥

भवदीय निवेद्यिता

इस का उत्तर समाज ने नीचे लिखे अनुसार दिया:—

ओ३म्

श्रीयुत पं० भीमसेन शर्मा जी योग्य ! नमस्ते

आप के ११ । २ । ०१ के द्वितीय पत्र के उत्तर में निवेदन है कि आप की सेवा से तद्विषयक पत्र आज ता० ११ । २ को ३॥ बजे भेजा गया है, जिस विषय में मुझ से आप ने खान चीत हो चुकी थी ॥

२—शास्त्रार्थ की लेखबद्ध करने और सायंकाल में व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने के लिये एक ही स्थान (आर्यमन्दिर) ठीक है ॥

३—विज्ञापन केवल आप के व्याख्यान का नहीं बटेगा, किन्तु दोनों पक्ष के व्याख्यानों का एक ही विज्ञापन होगा ॥

४—असभ्यशब्दप्रयोग न कर सकने की प्रतिज्ञा आप की ओर से भी लिख

भेजनी चाहिये । आर्यसमाज को तो यह स्वीकृत ही है कि अपशब्द किसी को कभी न कहा जावे ॥

५-शास्त्रार्थ के वादी आप हैं, अतः अन्तिम लेख और व्याख्यान आर्यसमाज की ओर का रहेगा ॥

६-शास्त्रार्थ के नियमों पर उभयपक्ष के हस्ताक्षरयुक्त लेख दोनों के पास रहें, यह ठीक स्वीकृत है ॥

७-लिखने के समय आद्योपान्त शास्त्रार्थपत्रों पर उभयपक्ष से एक ही पुरुष हस्ताक्षर करता रहेगा ॥

६ बजे सायंकाल १७ । २ । ०१

आप का सुहृद्-

कृपाशङ्कर-मन्त्री आर्यसमाज आगरा

इस पर समाज के इस पत्र का और ३॥ बजे दिन वाले पत्र का (दोनों का) उत्तर पं० भीमसेन जी ने यह दिया कि-

ओ३म्

ता० १७ । २ । ०१

वगीरपुरा-आगरा ७॥ बजे सायम् ।

श्रीमान् मन्त्री आर्यसमाज आगरा योग्य

आप के पत्र नं० १ व २ का उत्तर यह है कि आज प्रातःकाल आप मुझ से मिलने के समय जो कड़ गये थे, तथा अपने पूर्व पत्रों के लेख में अब आप का यह लेख विरुद्ध है कि ४ घण्टे लेखनीबद्ध और १॥ घण्टे व्याख्यान द्वारा शास्त्रार्थ हो । इस दशा में मेरा निश्चय है कि ऐसे पत्रों से बहुत कालक्षेप होगा और शास्त्रार्थ होना कठिन होगा । इस लिये यदि आप शास्त्रार्थ कराना चाहते हैं तो २ अथवा ३ मुख्य २ भद्र पुरुष यहाँ चले आइयेगा । जिस से कि सम्मुख बात चीत होंकर शास्त्रार्थ के नियम स्थिर हो जावें और उन्हीं नियमों पर शास्त्रार्थकर्ता वादी प्रतिवादी दोनों के हस्ताक्षर दोनों कापियों पर होकर परस्पर एक को दूसरे की हस्ताक्षरी कापी मिल जावे । तो सम्भव है कि कल प्रातःकालसे शास्त्रार्थ का प्रारम्भ हो-इत्यलम् ॥

ह० भीमसेन शर्मा

यद्यपि समाज के लेख में जुझानी स्थिर किये हुवे के विरुद्ध कुछ भी न था और न पं० भी० जी ने ठोकरेदार कुछ विरोध बताया, परन्तु उन का तो अभ्यास ही गोलमोल इश्वारत " अधिकांश " आदि लिखने का है ।

समाज ने यह समझा कि कभी इसी नियम से शास्त्रार्थ न हो, जैसे बने वैसे और जैसे ये कहें वैसे ही नियम मान कर शास्त्रार्थ कर लिया जाय, समाज के लोग फिर पं० भी० जी के पास गये और निम्नलिखित नियम स्थिर करके हस्ताक्षर कर और कराय लाये:--

शास्त्रार्थ के उभयपक्षस्वीकृत नियम

- १-शास्त्रार्थ दयानन्द अनाथालय हॉल की मण्डी में ता० १९ फ़रवरी सन् १९०१ ई० से होगा ॥
- २-स्थान के एक भाग में पं० भीमसेन शर्मा और उन के सहायक पण्डित, दूसरे भाग में आर्यसमाजस्थ पण्डित बैठकर आध आध घण्टा तक लेखप्रति-लेख करते जायें और हस्ताक्षर करके एक दूसरे के पास भेजते जायें। समय नौ बजे से बारह बजे तक दिन में होगा। उक्त स्थान के जिस भाग को पण्डित भीमसेन शर्मा पसन्द करें, ले लेंगे ॥
- ३-इन नियमों के पालन कराने का काम सेठ प्रियमलाल जी लुहारबली धालें करेंगे ॥
- ४-समाजमन्दिर में जो कुछ लेख प्रतिलेख हुआ करेगा, यह सुस्पष्ट करके प्रतिदिन ढाई घण्टे में व्याख्यान द्वारा सर्वसाधारण को सुना दिया करेंगे, जिसमें प्रथम दिवस प्रथम व्याख्यान आर्यसमाजस्थ पण्डित सभा घण्टे करेंगे, पश्चात् पं० भीमसेन शर्मा सभा घण्टा करेंगे। और दूसरे दिन प्रथम पं० भीमसेन शर्मा पश्चात् आर्यसमाजस्थ पण्डित करेंगे और इसी क्रम से आगे होगा ॥
- ५-आर्यसमाज का यह पक्ष है कि जीवित माता पिता आदि पितृ कहलाते हैं, उन्हीं की सेवा करना पितृयज्ञ है और पण्डित भीमसेन शर्मा का यह पक्ष है कि मृतक माता पिता आदि के नाम से पिण्डादि देने का नाम पितृयज्ञ और श्राद्ध है और जीविन की सेवा का नाम पितृयज्ञ वा श्राद्ध नहीं ॥
- ६-दोनों अपने अपने पक्ष का मण्डन और दूसरे का खण्डन वेद और आर्षग्रन्थों के द्वारा करेंगे ॥
- ७-आर्यसमाज की ओर से कोई अनुचित व्यवहार शास्त्रार्थ में न होगा, जिस से किसी प्रकार से शास्त्रार्थ में विग्रह न होने पावे। और न पण्डित

भीमसेन शर्मा की तरफ से होने पावे— २॥ बजे ता० १८ । २ । ०१

३० भीमसेन शर्मा (३०) कृपाशङ्कर—मन्त्री आर्यसमाज आगरा

विज्ञापनम्

आगरा—निवासी सर्वसाधारण भद्र पुरुषों की मृचना दी जाती है कि ता० १९ फ़रवरी सन्ध्या के ७ बजे से ९॥ बजे तक आर्य समाज के भक्तान मोती-कटरा में आर्यसमाज के पण्डितों के साथ पं० भीमसेन शर्मा का शास्त्रार्थ होगा अर्थात् पं० भीमसेन शर्मा वेद और आर्षग्रन्थों के प्रमाणों से मृतक पुरुषों का श्राद्ध करना अपने व्याख्यान द्वारा सिद्ध करेंगे और आर्यसमाजी पण्डित लोग मृतक श्राद्ध का खण्डन तथा जीवितों के श्राद्ध का खण्डन वेद-प्रमाणों से सिद्ध करेंगे । इस लिये सब महाशय पूर्वोक्त समय उक्त स्थान में पधारे और सुनकर लाभ उठावें ॥ कृपाशङ्कर मन्त्री आर्यसमाज आगरा

यह ऊपर का विज्ञापन नगर में बांटा गया ॥

इन नियमों के अनुसार ता० १९ को ९ बजे से श्रीगद्गानन्द अनाया-लय के स्थान में उभयपक्ष के पण्डित शास्त्रार्थ में प्रवृत्त हुवे । स्थान के एक भाग में पं० भीमसेन जी शर्मा और पं० मुकुन्ददेवादि उनके सहायक पण्डित लोग, दूसरे भाग में पं० तुलसीराम स्वामी तथा उनके सहायक पं० देवदत्त शास्त्री आदि समाज के पण्डित आसीन हुवे । समयविभाग का प्रबन्ध सेठ श्यामलाल जी के हाथ में दिया गया । प्रथम घण्टी बजते ही दोनों पक्ष वालों ने अपने २ पक्ष के खण्डन और परपक्ष पर प्रश्न इस प्रकार उपस्थित किये जैसा कि नीचे छपे लेखों से जाना जायगा ॥ आर्यसमाज का प्रथम पत्र— ओ३म् ॥ यजुः २ । ३१ में—

(अत्र पितरो मादयधनम् यथाभाग०)

इस मन्त्र के पूर्वार्ध में पितृपितामहादि वृद्धों की तृप्त करने, भोजन कराने के लिये * आज्ञा है और उत्तरार्ध में जब वे भोजन कर चुकें, तब उन से तृप्ति का प्रश्न है ॥ २—यजुः २ । ३३ में—

* परमेश्वर की ॥

* आधत्त पितरोगर्भं कुमारं ० ॥

इस मन्त्र में पितरों को गर्भाधान करने का आदेश † है ॥

३—ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः ० ॥

यजुः २।३४ में अन्न जल दुग्धादि से पितरों का तृप्त करना विहित है ॥

१—जब कि भोजन कराने और कर चुकने पर तृप्ति का प्रश्न है तो यह संभव नहीं कि लोकान्तरस्थ पितरों की तृप्ति का प्रश्न किया जा सके ॥

४—आयन्तु नः पितरः ० ॥

(यजुः १।५८) इस मन्त्र में पितरों का आना, जाना, बोलना, अन्न से तृप्त होना लिखा है तो जीवितों में ही संभव है, मृतों में नहीं। अपने पुत्रों की रक्षा भी जीवित ही कर सकते हैं। मृतक नहीं ॥

२—गर्भाधान भी जीवित ही कर सकते हैं। मृतक नहीं ॥

३—आप का पक्ष इन मन्त्रों से इतना ही नहीं रहता कि आहु मृत्निमित्तक पिण्डदानादि का नाम है, किन्तु मृत पितरों का आना, जाना, बोलना, रक्षा करने, भोजन करने आदि को मृतों में घटाना भी आप का पक्ष है ॥

५—एतद्ः पितरो वासः ० ॥

(यजुः २।३२) में पितरों को वस्त्र पहनाना लिखा है। जब कि पितरों का आना जाना बोलना वस्त्र पहनना आदि सभी व्यवहार है, तब जीवितों में क्या संदेह है ॥

कृपा कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर युक्ति तथा प्रमाण सहित दीजिये ॥

प्रश्नाः

(१ वेद में “गर्भमाधत्त पितरः” (यजुः अ० २ मं० ३४) यह वाक्य आया है तो क्या मृत पितृ गर्भाधान कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो सश-

टिप्पण * इस मन्त्र का अर्थ स्वामी जी महाराज के आशय से यह है जैसा कि नीचे लिखा है। परन्तु समाज ने स्वामी जी कृत अर्थ को इतत शास्त्रार्थ में विवादास्पद समझा जाने से बचाने के लिये प्रस्तुत नहीं किया ॥

(पितरः) हे पितृजनो ! (गर्भम्) अपनी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न और म (कुमारम्) अपने पुत्र की (पुष्करस्त्रगम्) जो पुष्पमाला पहिने अर्थात् समावर्त्तन कराके आया है, उसे (आधत्त) सब प्रकार धारण कीजिये (यथा) जिस प्रकार से कि (इह) इस कुल में (पुरुषः) पुरुष=सन्तति (असत्) होवे ॥

† परमेश्वर का

रीर हैं वा अशरीर ? और उन के शरीर पाञ्चभौतिक हैं वा किसी भूत विशेष के ? यदि किसी भूतविशेष के हैं तो रेतःसेचनक्रिया कैसे बनेगी और वे कहाँ रहते हैं ? यदि अशरीर हैं तो भोग कैसे होता है ? पुनः नित्य हैं वा अनित्य ? यदि जन्म लेते हैं तो नित्य कैसे और जन्म लेने का कौन हेतु ? और गित्य की सृष्टि संभव है तो सृष्टि नित्य होती है वा अनित्य ? और नित्य ही है तो जन्म मरण का समय कितना नियत है और जिन का वंशोच्छेद होजावे उन के पितृ क्या खाते हैं और कहाँ से ? और तीन ही पीढ़ी की कैद क्यों ? और पितर केवल मानुषी सृष्टि के बनते हैं कि पशु आदि के भी ?

(२) पितृयज्ञ नित्यकर्म है तो जिस के पिता आदि तीनों पुत्र्य जीते हैं, वह किस के सम्बन्ध से पितृयज्ञ करे । यदि नित्य नहीं तो पञ्चमहा-यज्ञों की पूर्ति आप कै यहाँ कैसे ?

(३) और पितरों का आवागमन है तो किहेतुक और कियत्कालिक है ?

(४) पितृसम्बन्ध केवल जीव वा शरीर वा विक्षिप्त में होता है ? और पितर (मृत) रक्षा कैसे करते हैं ? इति ॥ रानप्रसाद-प्रधान आर्यसभाज पं० भीमसेन जी ने उत्तर लिखा कि—

(अत्र पितरो मादयध्वं०) मन्त्रे ऋषितानां नामैव नास्ति । यथा मया मृतपितृणां श्राद्धं मृताभ्यामिनिर्दिष्टं तथा ऋषिद्विरपि जीवितानां श्राद्धं कार्यमिति मन्त्रादिप्रमाणेषु दर्शयितव्यम् ॥

(आधत्त पितरो०) अस्य मन्त्रस्य शतपथादियन्यप्रमाणैर्मध्यमपिण्डस्य पत्न्याः प्राशने विनियोगः । मनुनाप्युक्तम्—मध्यमंतुततः पिण्डमद्यात्मस्य कृशुतार्थिनी । तत्र पिण्डप्राशने मृता एव पितरः प्राश्यन्ते—हे पितरो यूयं कुमारं पुमांसं गर्भमाधत्त । गर्भधारणं कुरुत—येन स्थिर एव स्यादिति ॥

ऊर्जवहन्तीरिति मन्त्रस्य पिण्डानामुपरि जलसेचने विनियोगोऽस्ति तत्रोर्जवहन्तीरिति स्त्रीलिङ्गा आपः प्राश्यन्ते यूयं मपितृन् तर्पयत * ॥

लोकान्तरस्था एव पितर आहूयन्ते आगच्छन्ति एव भुञ्जते ॥

(आयन्तुनः पितरः०) अत्रायान्तु—इत्यनुष्ठुप् । अत्रापिशतपथादिप्रमाणैः प्रतीयते लोकान्तरस्था एवागच्छन्ति * । यथा चेच्चरः सूक्ष्मः परोक्षोऽपि सर्वप्रकारैः प्राश्यते तथा पितरोऽपि ॥

* इति शब्दाऽप्रयोगश्चिन्त्यः

(एतद्दःपितरोवासः०) इति मन्त्रेण पिखानामुगिसूत्रपातनं पितृभ्यो वस्त्र-
दानमपिशतपथानुकूलम् ॥ ह० भीमसेनशर्मा

समाज का अनुमान था कि शास्त्रार्थ भाषा में होगा । क्योंकि संस्कृत का भी पीछे भाषानुवाद करना ही पड़ेगा । परन्तु पं० भीमसेन जी ने संस्कृत में लिखना आरम्भ किया, तब आगे से उन की रुच्यनुसार समाज ने भी संस्कृत में ही लिखना आरम्भ किया । पं० भीमसेन जी के ऊपरके लेख का भाषार्थ नीचे लिखे अनुसार है जो उन्होंने समाज के उत्तर में लिखा है:—

“अत्र पितरोमादयश्चम् ० इस मन्त्र में “जीवन्तो” का नाम ही नहीं है । जैसे मैंने मृत पितरों के आहुति में “मृतों का” यह दिखलाया । इसी प्रकार आप भी मन्त्रादि के प्रमाणों में “जीवन्तों का आहुति करना” यह दिखलाइये ।

शतपथादि * के प्रमाणों में (आधत्त पितरो गर्भम् ०) इस मन्त्र का विनियोग इस विषय में है कि पत्नी बीचले पिण्ड को खावे । ऐसा ही (मध्यमं तु ततः पिण्डम् ०) मनु ने भी कहा है । यहाँ पिण्ड खाने में मृतपितरों से ही प्रार्थना है कि हे पितरों ! आप पुरुष गर्भ का आधान करें—गर्भाधान करें जिस से स्थिर ही हो ॥

ऊर्जं वहन्तीः ० इस मन्त्र का विनियोग पिण्डों पर जलमेजन में है । उस में इस मन्त्र से स्त्रीणिङ्ग (आपः) जलों की प्रार्थना है कि तुम मेरे पितरों को तृप्त करो ॥

आयन्तु नः पितरः ० इस में आयान्तु यह अशुद्धि + है । इस में भी शतपथादि प्रमाणों से प्रतीत होता है कि लोकान्तरस्थ ही आते हैं जैसे ईश्वर मूर्त्त और परीक्ष भी सब प्रकारों से प्रार्थना किया जाता है वैसे पितर भी ॥

एतद्दः पितरोवासः ० इस मन्त्र में पिण्डों पर मृत डालना, पितरों को वस्त्र देना भी शतपथ के अनुकूल है ॥ ह० भीमसेन शर्मा

आप देखते हैं कि पं० भीमसेन जी ने समाज के प्रश्नों का उत्तर कहा तक दिया है । अस्तु । अब पं० भीमसेन जी का पूर्व पक्ष और समाज का उत्तर पक्ष देखिये । पं० भीमसेन जी का पूर्व पक्ष यह था:—

* ज्ञात हो कि (आधत्त पितरः ०) मन्त्र का शतपथ में वर्णन ही नहीं फिर मध्यमपिण्डप्राशन की कथा ही क्या है ॥

+ अपनी अशुद्धियों भी नोट में “चिन्त्य” कह कर दिखलाई हुईयों पर ध्यान दीजियेगा ! यन्तु का यान्तु तो लेखभ्रम ही है ॥

ओ३म् ॥ अथमृगपित्रादीनां श्राद्धस्य प्रतिपादनम् । अपसव्यमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम् । अपमव्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि ॥ १ ॥ त्रींस्तु स्तस्माद्भुविः-
शेषात्पिण्डान्कृत्वा ममाहितः । औदकेनैव विधिना निर्वपेदक्षिणामुखः ॥ २१५ ॥
इत्यादिमानवधर्मशास्त्रज्ञां कैः पिण्डदानं मृतेभ्य एव सङ्गच्छते ॥

ध्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत् । विप्रबद्धापितं श्राद्धे स्वकं पितरमा-
शयेत् ॥ म० ३ । २२० ॥ ध्रियमाणं जीवतिसति पितरि पूर्वेषां पितामहादीनामेव
नाम्ना पिण्डान्निर्वपेदितिकथनादवसीयते मृते पितरितन्नाम्ना पिण्डदानमस्त्ये-
वेति । अन्यच्च-विप्रान्तिके पितृन्ध्यायन्निति (२२४) कथनादपि सुस्पष्टमेवा-
याति यद्भोजनीयविप्रेभ्यो भिक्षा एव मृताः पितरस्तेषामेव ध्यानां कार्यम् ॥

तथा-पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जीवञ्चापि पितामहः ॥ २२१ ॥ इतिकथना-
दपि यस्य पितामृतः स्यात्तेन स्वपितृनाम्ना पिण्डदानं कार्यम् । एभिर्मानवधर्म-
शास्त्रप्रमाणैर्मृतानां श्राद्धं सिद्धमेवास्ति । यो ब्रूयाद् वेदविरुद्धं कथनमिदं स वेदम-
न्त्रानुदाहृत्य मन्त्रैः साकं विरोधं दर्शयेत् । असति विरोधे नीमांसादर्शनं प्रतिपाद-
नादानुकूल्यमेवावगन्तव्यम् ॥ ६० भीमसेन शर्मा

अर्थ-अब मृत पिता आदि के श्राद्ध का प्रतिपादन किया जाता है ।
(अपसव्यमग्नौ) इत्यादि मनु के श्लोकों से मरों ही के लिये पिण्डदान घटता
है । (ध्रियमाणे तु पितरि) इत्यादि मनु ३ । २२० से निश्चय होता है कि
पिता जीवता हो तो पितामहादि के ही नाम से पिण्ड दे । और पिता
मर जाय तब उस के नाम से पिण्ड दे । और (विप्रान्तिके पितृन्ध्यायन्)
इत्यादि मनु २२४ से भी स्पष्ट होता है कि भोजनीय ब्राह्मणों से भिन्न ही
मृत पितर हैं, उन्हीं का ध्यान करना चाहिये । तथा (पिता यस्य निवृत्तः
स्यात्) इत्यादि मनु २२१ के कथन से भी जिस का पिता मर जाय उसको
अपने पिता के नाम से पिण्डदान करना चाहिये ॥ इन मनुस्मृति के प्रमाणों
से मुर्दी का श्राद्ध सिद्ध ही है । जो कहे कि यह कथन वेदविरुद्ध है, वह वेद-
मन्त्रों को उदाहृत करके मन्त्रों के साथ विरोध दिखलावे । विरोध न हो
तो नीमांसादर्शन में प्रतिपादनानुसार आनुकूल्य ही मसकना चाहिये ॥

६० भीमसेन शर्मा

आर्यसमाज ने इस का निम्नलिखित उत्तर दिया:-

ओ३म्

आर्षेधर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना । यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मवेदनेतरः ॥
इति मनुवचनेनैव भवद्विन्यस्तानि मनुवचनानि विरुध्यन्ते । तत्र वेदशास्त्राऽवि-
रोधिना तर्केणाऽनुसंधानस्य विहितत्वात् । तानि वचनानि चाऽस्मदुद्धृतेभ्यो
वेदमन्त्रेभ्यो विरुध्यन्त एव, अस्मद्विहिततर्केभ्यश्च ॥

२-“बुद्धिपूर्वोददातिः” इति वैशेषिकसूत्रेऽपि बुद्धिपूर्वदानस्य विहितत्वात् स्मृतेश्च
बुद्धिपूर्वकदानासंभवात् ।

वैशेषिकदर्शने (५ । ३ । ४) आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्
इति वचनादपि भवद्विन्यस्तानि विरुध्यन्ते । कृतहानिमकृताभ्यागमश्च प्रसज्यते ॥

३-न कर्मणाऽन्यधर्मत्वादतिप्रसक्तंश्च (सां० १ । १६)

४-नायौक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथाबालोन्मत्तादिसमत्वम् (सां० १ । २६)

अनेन सूत्रेणाऽपि भवद्विन्यस्तानि वचनानि अयौक्तिकानि विरोधं प्राप्तानि ॥

५-वेदप्रमाणराहित्येन केवलं मनुवचनविषयसनेन चाऽपि प्रतिज्ञातो भवत्पक्षः शि-
शिषो भवति । तत्र वेदमन्त्रप्रमाणानामावश्यकत्वेन नियतत्वात् ॥

६-जीवतां श्राद्धनिषेधवचनस्याऽपि भवद्विन्यस्तवचनेऽप्रसत्त्वात् । प्रतिज्ञातप-
क्षप्रतिपक्षयोश्च भवत्पक्षे स्पष्टमुदितत्वात् साध्यसाधनाऽभावप्रसक्तिश्च ॥

अर्थ-(आर्षे धर्मो) इत्यादि मनु के वचन से ही आप के लिखे मनु-
वचन विरुद्ध हैं क्योंकि उस में वेदशास्त्र के अविरोधी तर्क से अनुसंधान
(तहकीक) करना कहा है । वे (आप के लिखे) वचन, हमारे लिखे (देखो
पृ० १३) वेदमन्त्रों और हमारे लिखे (देखो पृ० १४) तर्कों से भी विरुद्ध हैं ही ॥

२-(बुद्धिपूर्वोददातिः) इस वैशेषिक सूत्र में भी बुद्धिपूर्वक (जान बूझ
कर) दान कहा है और मरों को जान बूझ कर दे नहीं सकते । (आत्मा-
न्तरगुणा०) इस वैशेषिक ५ । ३ । ४ सूत्र में भी कहा है कि अन्य के गुण
अन्य में कारण नहीं हो सकते । इस में भी आप का लेख विरुद्ध है । और
(स्मृतश्राद्ध का फल पितरों को पहुंचता माने ली) कृत कर्म की हानि और
विना किये कर्म का फल मिलना रूप दोष भी आप के मत में आता है ॥

३-(न कर्मणाऽन्यधर्मत्वादतिप्रसक्तंश्च । सांख्य १ । १६) और ४-(ना-
यौक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथा०) इत्यादि १ । २६ में भी आप के लिखे वचन युक्ति-
हीन होने से विरुद्ध हैं ।

५-आप का पक्ष यह प्रतिज्ञात हुआ था कि वेद और आर्य ग्रन्थों में सिद्ध करेंगे परन्तु आप के लेख में वेद का कोई प्रमाण नहीं है। इस लिये भी आप का पक्ष शिथिल होता है। क्योंकि उस में वेद के प्रमाण अवश्य होने चाहिये थे।

६-प्रतिज्ञात पक्ष प्रतिपक्षों में यह भी लिखा था कि जीवतों का आहु नहीं होता। परन्तु आप के लिखे वचनों में कोई वचन जीवितआहुनि-वेधक नहीं है। इस लिये अपने पक्ष (साध्य) को सिद्ध न करने का दोष भी आप के लेख में आता है ॥ रामप्रसाद-प्रधान आर्यसमाज आगरा

इस का उत्तर पं० भीमसेन जी ने दिया कि-

नैषातर्कैशमतिरापनेया-इतिकठं । तर्कोऽप्रतिष्ठइतिभागते । योऽवस-
न्येततेमूलेहंतुशास्त्राश्रयाद्विजः । समाधुभिर्बहिष्कार्योनास्तिकोवेदनिन्दकः ।
इत्यादिष्वचनैरिदमायाति यत्रश्रुतौस्मृतौवास्पष्टं प्रमाणततोविरुद्धं यस्तर्कं प्रयु-
क्ते सनास्तिकः । वेदमन्त्रभ्योभवद्वचनानामेव विरोधः स्पष्टः । नास्ति आहुं वैशेषि-
कग्रन्थकारस्य वैपरीत्यम् । नचपिण्डदानस्याहुिपूर्वत्वं भवद्भिः प्रतिपादयितुं शक्यम्
युक्तिपदस्य कोऽर्थः । नात्रयुक्तीनां विचारः प्रवृत्तः । अपितु वेदप्रमाणैराण्यग्रन्थ-
प्रमाणैश्च भवद्भिः स्वपक्षः साध्यः । यदि प्रमाणैर्नृत आहुं सिद्धं, तथावक्तव्यं प्रमाणैः मि-
दुमपियुक्तिविरुद्धत्वाच्च मन्यत इति । अलीनां स्थापने कायुक्तिः समानमवोभयं युक्ति-
विरुद्धम् । स्मृतिवचनैः साहुं वेदमन्त्राणामपि प्रमाणं सम्यक् मघटयिष्यते । भवद्भिः
स्मृतिवचनानां वेदमन्त्रैर्विरोधो दर्शयितव्यः । जीवतां आहुं न कथमपि प्राप्तं यदर्थनि-
वेधवचनानि स्युः । प्राप्तौ सत्यां निषेधप्रवृत्तः । मृतानां आहुप्रतिपादकवचनैराग-
तमेव यज्जीवतां सेवनं न आहुम् ॥

जीवितानां पित्रादीनां सेवनं आहुं पितृयज्ञोवेतियुष्माभिः प्रमाणमत्रांशे देयम् ।
जीवितआहुपद्वृत्तिः कास्ति केन ग्रन्थेनानुकूलाचेति लेख्यम् ॥ ६० भीमसेन शर्मा

अर्थ-कठोनिषद् में लिखा है कि (नैषा तर्केण०) तर्क से यह मति प्राप्त होने योग्य नहीं है । भारत में लिखा है कि तर्क का प्रतिष्ठा नहीं है । (योवसन्येत०) इत्यादि वचनों से यह पाया जाता है कि जहां श्रुति वा स्मृति में स्पष्ट प्रमाण है उस में विरुद्ध ओ तर्क का प्रयोग करता है वह नास्तिक है । वेदमन्त्रों से आप के वचनों का ही विरोध स्पष्ट है । आहु में वैशेषिकग्रन्थकार को विपरीतता नहीं है । आप पिण्डदान की अशुद्धि-

पूर्वत्व भी प्रतिपादित नहीं कर सके । युक्ति पद का क्या अर्थ है ? । यहाँ युक्तियों का विचार प्रवृत्त नहीं है किन्तु वेद और आर्ष ग्रन्थों के प्रमाणों से आप को अपना पक्ष सिद्ध करना चाहिये । यदि प्रमाणों से मृतश्राद्ध सिद्ध होगया तो कहिये कि प्रमाणों से सिद्ध भी युक्तिविरुद्ध होने से नहीं माना जाता । बलियों के स्थापन में क्या युक्ति है ? दोनों ही युक्तिविरुद्ध समान हैं । स्मृतिवचनों से वेदनन्त्रों का प्रमाण भी ठीक २ घटाया जा-यगा । आप स्मृतिवचनों का वेदमन्त्रों में विरोध दिखाइये । जीवतों का श्राद्ध किसी प्रकार भी प्राप्त न था जिस के लिये निषेधक वचन होते क्योंकि प्राप्त होने पर निषेध प्रवृत्त होता है । मृतों को श्राद्ध प्रतिपादन से ही यह अर्थापत्ति से पाया गया कि जीवतों का श्राद्ध नहीं है । आप को इस विषय में प्रमाण देना चाहिये कि जीवते पित्रादि की सेवा श्राद्ध वा पितृ-यज्ञ है । यह भी लिखिये कि जीवितश्राद्ध की पद्धति कहाँ है और किस ग्रन्थ के अनुकूल है ॥ ह० भीमसेन शर्मा

इस के उत्तर में समाज का लेखः—

ओ३म्

१—नैषालकेशेत्यादिकठवचनं ब्रह्मविद्यापरं, न कर्मकाण्डपरम् । भारतवचनस्याऽपितत्परत्वात् न तल्लेखः पर्याप्तः ॥

२—योवमन्यतेत्यादिमनुवचनं च न तर्कनिन्दकं, किन्तु धर्मशास्त्रवचनपोषणाय तर्कानुबन्धानं कर्तव्यं न धर्मशोधकश्रुतिस्मृतिविघाताय, इत्यवसाधयति । तेषां वचनानां चाऽन्यार्थग्रन्थविरुद्धत्वात् न यथार्थस्मृतित्वम् । यस्तर्कणानुसंधत्ते इति चास्माभिः पूर्वमेवालेखि । न च तदुत्तरं भवद्भिः किमप्यदायि ।

३—वेदमन्त्रेभ्यो मन्त्रवचनानामेव विरोध इत्यप्यऽपर्याप्तम् । विरोधस्याऽदर्शितत्वात् ।

४—वैशेषिकग्रन्थकारस्यास्मदुद्धृतं यद्वचनं न तत्सङ्गतिः स्वपक्षपोषणाय भवद्भिः साधिता ।

५—युक्तिपदस्यार्थः स्पष्ट एव—युज्यते संभाव्यते मायुक्तिः । न विद्योनेन को भवतां लाभः ।

६—श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिरित्यादिवचनैश्च तर्कस्य प्रतिष्ठासुरूप-
हा । “तर्कमुषिं प्रायच्छन्”—इति निरुक्तं च ॥

६-साधितश्च पूर्वस्मिन्नेव लेखेऽस्माभिः स्वपक्षे वेदवचनैः । नापि भवद्भिः श्रद्धावधि
स्वपक्षपोषणाय वेदवचनानि विन्यस्तानि । केवलं प्रतिज्ञानानि । न च प्रतिज्ञा
मात्रेण साध्यं सिध्यति ॥

७-बलीनां स्थापने कायुक्तिरिति प्रकरणपरित्यागः ।

८-शीघ्रतां श्राद्धं यद्दिनकृापि विहितं न हि किमर्थं लेखो नियमपत्रं व्यधायि । यत्र नि-
षेधप्रतिज्ञा स्पष्टा विद्यते ॥

९-शीघ्रतः पितृयज्ञप्रमाणां निलिखितानि पूर्वमस्माभिः पुनर्लेखस्याऽनावश्यक-
त्वम् । न च पट्टनिर्णययैष शास्त्रार्थोऽपि तु याऽपि पट्टतिः स्यान्मृतपितृपराया
जीवितपरावेत्येव निर्णेतव्यमस्ति । नाऽधिकायेति दिक् ॥

अर्थ-कठोपनिषद् का वचन (एषा०) ब्रह्मनिद्या के विषय में है, कर्म-
काण्ड विषय में नहीं । (क्योंकि वहाँ मृत्यु और नष्टिके ना के संवाद में
आत्मज्ञान में यह कहा गया है) भारत का वचन भी वैसा ही है । इस
कारण इन का लिखना पर्याप्त नहीं ॥

२-(यो वसन्येत०) इत्यादि मनुवचन तर्क की निन्दा नहीं करता किन्तु
यह मिट्ट करता है कि धर्मशास्त्र के वचनों की पुष्टि में तर्क से अनुसन्धान
करना चाहिये, धर्मबोधक श्रुतिस्मृति के विधान के लिये नहीं परन्तु आप
के निम्ने (मनुस्मृति के) वचनों को अन्य (सांख्यवैशेषिकादि) आर्षग्रन्थों के
निरुद्ध होने से यथार्थ स्मृति पना नहीं है । “जो तर्क से अनुसंधान करता है
वही धर्म को जानना है अन्य नहीं” यह (मनुवचन) इस पूर्व ही लिख आये है ।
जिस का उत्तर आपने कुछ भी नहीं दिया ॥

२॥-यह कह देना मात्र पर्याप्त (काफी) नहीं है कि “ वेदवचनों से
आप के वचनों ही का विरोध है ” क्योंकि (आप की ओर से) विरोध
दिखलाया नहीं गया ॥

३-वैशेषिक ग्रन्थकार का जो वचन (पृ० १७ में) इसने लिखा था, उस की
सङ्गति आपने अपने पक्षपोषणार्थ कुछ भी नहीं लगाई ॥

४-युक्तिपद का अर्थ स्पष्ट है कि युक्त अर्थात् संभव हो । इस नहीं जानते
कि इस (प्रश्न) से आप का क्या लाभ है ?

५-(श्रोतव्यः श्रुति०) इत्यादि वचनों से तर्क की प्रतिष्ठा भले प्रकार स्पष्ट है ।
(तर्कसृष्टि०) इत्यादि निरुक्त भी (तर्क की ज्ञानोपदेशक ऋषि बताता है) ॥

६-हम अपना पक्ष पूर्व पत्र (पृ० १३) में ही वेदमन्त्रों से सिद्ध कर चुके हैं और आप ने अपने पक्ष की पुष्टि के लिये अब तक वेदवचन नहीं लिखे, केवल (लिखने की) प्रतिज्ञामात्र की है परन्तु प्रतिज्ञामात्र से माध्य की सिद्धि नहीं हो सकती ॥

७-“ बलियों के स्थापन में क्या युक्ति है ? ” यह प्रश्न प्रकरण का परित्याग करना रूप (दोष) है ॥

८-यदि जीवतों का आहु कहीं भी नहीं लिखा तो किस लिये आपने नियमपत्र (पृ० ११ पं० २४) में लेख किया था ? जहां निषेध की प्रतिज्ञा स्पष्ट है ॥

९-जीवित पितृयज्ञ के प्रमाण हन पूर्व (पृ० १३ में) लिख चुके हैं फिर लिखने की आवश्यकता नहीं । और यह शास्त्रार्थ पटुति के निर्णयार्थ नहीं किन्तु जो कोई भी पटुति हो वह जीवतों के विषय में हो वा मृतकों के विषय में, केवल इसी का निर्णय करना है । अधिक के लिये (शास्त्रार्थ) नहीं है ॥

रामप्रसाद-प्रधान आर्यसमाज

अब पं० भीमसेन जी के (पृ० १४-१५ में मुद्रित) लेख का उत्तर समाज ने दिया सो देखिये:-

ओ३म्

१-अस्मद्विश्वस्तसर्वपक्षस्योत्तरंभवद्विर्नाऽलेखि ॥

२-भवद्विरुद्धतातिमनुवचनानिअस्माभिः पूर्वविश्वस्तैर्हंतुभिःपरस्परविरोधना-
मुबन्ति, अतःसाध्यसाधनाऽपर्याप्तानि । पितृणांपरमेश्वरवद्व्यापकत्वंचवि-
वादापन्नं नसिद्धम् । साध्यस्यसाधनत्वेनविन्यासोऽयुक्तएव ।

३-यावदऽसिद्धंपितृणांपरमेश्वरवद्व्यापकत्वंनतावत्पार्श्वत्रिकीसत्तासमुल्लेख्या

४-व्यापकत्वंइमोदेहंविहायलोकान्तरगमनंसंभवति । भवदभिमतपितृलोक-
स्याऽस्मल्लोकतोन्नित्वे तत्रस्यपितृणांव्यापकत्वाऽसंभवः ॥

५-आद्यतपितरइतिमन्त्रेपत्नीपितृद्वयानांभाऽपिनास्ति ॥

६-स्त्रीलिङ्गाआपःप्रार्थ्यन्तेइत्यपिभवदुक्तिरसमीचीनातत्राप्रांजडत्वात्प्रार्थनी-
यत्वाऽसंगतेश्च । व्यत्ययेनतत्राद्विदुग्धादिभिश्चपितृणांतर्पणस्यविहितत्वात् ।
नरपांप्रार्थना ॥

७-शतपथादिग्रन्थप्रमाणानामुद्धृतानिवचनानिचापिभवस्लेखे न सन्ति, नाऽपि तेषांसङ्केतः । अनुद्धृतेभ्यश्चवचनेभ्योनसाध्यंसिद्धिमेति ॥

८-वस्त्रस्थानेसूत्रपातनंचाऽपिअयुक्तं, वस्त्रस्यकार्यत्वंसूत्रस्यकारणत्वात् । गहि कारणंकार्यत्वंनविन्यसनीयम् ।

९-तत्रयदिजीवितशब्दोनविद्यतेतर्हिस्मृतशब्दोऽपिनास्ति । जीवतां संभावना च तत्रस्थैःपदैःसुरूपष्टा ॥

अर्थ-१-आपने हमारे समस्त पक्ष का उत्तर नहीं लिखा ॥

२-आप के लिखे मनुवचन हमारे पूर्वलिखित हेतुओं से विरोध की प्राप्त होते हैं इस लिये साध्य के साधन में पर्याप्त नहीं । परमेश्वरवत् पितरों का व्यापकत्व विवादारूपद है, न कि सिद्ध । साध्य को साधनरूप से लिखना अयुक्त ही है ॥

३-जब तक पितरों का परमेश्वरवत् व्यापकत्व असिद्ध है तब तक उन का सब जगह होना नहीं लिख सके ॥

४-व्यापक होने पर यहां से देह त्याग कर लोकान्तर को जाना नहीं बनता । आप का माना हुआ पितृलोक, हमारे लोक से भिन्न हो तो पितरों को व्यापक पना नहीं बन सक्ता ॥

५-(आधत्त पितरः०) इस मन्त्र में पत्नी और पिण्ड का नाम भी नहीं है ।

६-आप का यह कथन भी ठीक नहीं है कि खीलिङ्ग (आपः) जलों से प्रार्थना है। उस में जलों के जड़ होने से प्रार्थनीयता नहीं बनती । और व्यत्यय से यह विधान है कि जल और दुग्धादि से पितृजनों की तृप्ति की जावे, नकि जलों की प्रार्थना ॥

७-आप के लेख में शतपथादि ग्रन्थों के वचन भी उद्धृत नहीं हैं, न उन का पता ही है । जो वचन आपने उद्धृत ही नहीं किये उन से आप का पक्ष नहीं सिद्ध होसकता ॥

८-वस्त्र के स्थान में सूत डालना भी अयुक्त है क्योंकि वस्त्र कार्य है और सूत कारण । कार्य की जगह कारण लिखना उचित नहीं है ॥

९-उन (पृ० १३ के प्रमाणों=वेदमन्त्रों) में यदि जीवित शब्द नहीं है

तौ मृत शब्द भी नहीं है । परन्तु जीवतों की संभावना वहाँ के पदों से भले प्रकार स्पष्ट है ॥

रामप्रसाद—प्रधान आर्यसमाज ॥

पं० भीमसेन जी ने निम्नलिखित उत्तर दिया—

ओ३म्

१—भवलिखितं पुनरुक्तं विद्यायाः प्राप्तिकं च सर्वस्योत्तरं मया ऽनेखि ।

२—नास्ति भवद्वेतूनां प्रामाण्यमपितु वेदमन्त्रानुदाहृत्य तैर्विरोधं दर्शयन्तु । पितरौ न व्याप्ता अपितु सूक्ष्माः परोक्षाश्चातोगमनागमनं सम्भवति ॥

३—नमयापितृणां सार्वत्रिकी सत्तोऽलिखिता ऽतः प्रतिलेखो व्यर्थ एव । ४—एवमेव व्यर्थं लेखनम् ।

५—आधत्तेति मध्यमपिण्डं पत्नी प्राप्नोति पुत्रकानां । का० श्री० ४ । १ । २२ । इति कातीयश्रीतसूत्रम् । तत्र मनुष्यचनमपि मया पूर्वपत्रे लिखितम् । मन्त्रे पत्नीशब्दो नास्ति । परन्तु आर्षग्रन्थोक्तविनियोगादिना तदर्थः प्रतीयते । यथा च शब्दो देवीरिति मन्त्रे—आचमनशब्दो नास्ति । तथा पिण्डोक्तविनियोगाद्बद्धिराचमनं प्रतीयते । एवमद्यमर्षणमार्जनादिष्वपि ध्येयम् ।

६—ऊर्जं वहन्तीः—अत्र वहन्तीरिति बहुवचनस्त्रीलिङ्गपदेन युष्माभिः कोऽर्थः क्रियते अपानभिमानिदेवतायास्तत्र प्रार्थनायुक्ता । अपां गृहत्वे ऽपि न देवताया जडत्वम् ॥

७—ऊर्जं वहन्ती०—ऊर्जमित्यपो निषिञ्चति । का० ४ । १ । १९ । इति कातीयसूत्रप्रमाणात् पिण्डोपरि जलनिषंके विनियोगः ।

८—वासः पदेन सूत्रस्य ग्रहणमाच्छदनार्थत्वात् सम्भवति ।

९—मृतकर्मणि—आर्षग्रन्थकृतविनियोगान्मृताः प्रतीयन्ते जीवितः केन हेतुना प्रतीयेत ॥

ह० भीमसेन शर्मा

अर्थ—१—आप के लिखे पुनरुक्त और अप्रासङ्गिक को छोड़ कर मैंने सब का उत्तर लिख दिया है ।

२—आप के हेतुओं को प्रमाणता नहीं है किन्तु वेदमन्त्रों को उदाहृत करके उन से विरोध दिखलाइये । पितर व्याप्त नहीं हैं किन्तु सूक्ष्म और परोक्ष हैं इस से जाना आना हो सकता है ।

३—मैंने पितरों की सर्वत्र सत्ता नहीं लिखी इस से उस का उत्तर लिखना व्यर्थ ही है । ४—इसी प्रकार व्यर्थ लेख है ।

५—(आधत्तेति) कात्यायन श्री० ४ । १ । २२ में पत्नी को मध्यमपिण्ड

खाना लिखा है और इन विषय का मनुवचन भी मैने पूर्व पत्र में लिखा था । मन्त्र में पत्नी शब्द नहीं है परन्तु आर्षग्रन्थों में कहे विनियोगादि से उस का अर्थ प्रतीत होता है । जैसा कि शक्तीदेवीः० इस मन्त्र में आचमन शब्द नहीं है तथापि शिष्ट लोगों के कहे विनियोग से आप को आचमन प्रतीत होता है । ऐसा ही अघमर्षण मार्जनादि में भी जानिये ॥

६—(ऊर्जं वहन्तीः०) इस बहुवचन स्त्रीलिङ्ग पद से आप क्या अर्थ करते हैं । जलों के अभिमानी देवता की प्रार्थना वहां ठीक है । जल के जड़ होने पर भी देवता को जड़ता नहीं है ।

७—“ऊर्जं वह० इस से जलसेवन करता है ” कात्या० ४ । १ । १९ यह प्रमाण है । पिण्डों पर जलसेवन में विनियोग है ।

८—वासस् शब्द से सूत्र का ग्रहण आच्छादनार्थ होने से बन सकता है ।

९—सृतकर्म में आर्ष ग्रन्थों के विनियोग से सृतक प्रतीत होते हैं, जी-वित किस हेतु से प्रतीत हो ।

इ० भीमसेन शर्मा

इस का उत्तर समाज ने दिया कि—

ओ३म्

१—नास्माभिः पुनरुक्तं किमप्यनेखि अप्रासङ्गिकं चायदलेखितं हि दर्शनीयः स लेखः ।

२—नास्माभिः स्वकल्पिताः हेतवो विन्यस्ता अपितु सांख्यवैशेषिकाद्यार्षग्रन्थवचनानिस्पष्टमुद्घृतानि । न चार्षवचनपरित्यागे कोपि हेतुर्भवद्भिरुद्घाटितः ॥

३—कात्यायनवचनप्रामाण्ये सति किं श्रीमद्भिरिदं नालोच्यते—

वावकीर्णिनां गर्दभेज्या १ । १ । १३

भूमौ पुरोडाशश्रपणम् । १ । १ । १४

अपस्ववदानहोमः १ । १ । १६ अवदानानां हृदयजिह्वाक्रोहादीनां होमोऽसु उदकेषु भवति नाग्नी । वचनात् । इति तद्भाष्यम् । यद्वि (अग्निं दूतं पुरोदधे) इत्यादियजुर्वचनात् विरुध्यते । वेदेऽग्नेर्दूतत्वेन विहितत्वात् च क्वापि जलस्य देवदूतत्वेन वेदविहितत्वम् ॥

४—शिश्नात्प्राशिन्नावदानम् १ । १ । १७ इति गर्दभशिश्नेन प्राशिन्नादिरचनरूप-अघन्यकर्मणां विहितत्वेन विन्यासः ॥ विंशतितमसूत्रभाष्ये च (कात्यायनः

[कर्मप्रदीपे २ । ९ । १७ । १८] नस्वेग्नावन्यहोमः स्यादिति श्लोकरचनादु-
श्यते । अस्ति च श्लोकरचना सूत्ररचनाकालतो नवीनकालीना । कर्मप्रदीपोऽपि
कात्यायनकृत इति च तत्र दृश्यते ॥

न च वयं कातीयसूत्रकृत मध्यमपिण्डप्राशनविनियोगसंमाननप्रमानं वा मृत-
पितृनिमित्तकपिण्डदानसाधनाऽसाधनपरंपश्यामः । अस्तु विनियोगः कोऽपि परं
नास्ति जीवितश्राद्धविधातको मृतश्राद्धविधायकश्च । वहन्तीरित्यादीनि पदानि स्व-
धाविशेषणानि देवतायाश्चेतनत्वेनावत्साध्ये, असति च तत्र देवतापदेन तत्तत्प्रयोगः ।

अर्थ—१—हमने कुछ पुनरुक्त नहीं लिखा, न अप्रासंगिक । यदि लिखा है
तो वह दिखाइये ।

२—हमने निजकल्पित हेतु (दलीलें) नहीं लिखे किन्तु सांख्य वैशे-
षिकादि के वचन स्पष्ट उद्धृत किये हैं । और (उन) आर्ष वचनों (सूत्रों)
के परित्याग (न मानने) में आप ने कोई हेतु प्रकट नहीं किया है ।

३—यदि कात्यायन के वचन प्रामाणिक हों तो क्या आप इस को नहीं
देखते हैं कि—

वावकीर्णिनो गर्दभेज्या १ । १ । १३ भूमौ पशुपुरोडाशश्रपणम्
१ । १ । १४ अप्सवदानहोमः १ । १ । १६ अवदानानां
हृदयजिह्वाक्रोडादीनां होमाप्सु उदकेषु भवति, नाग्नौ । वचनात् ॥

अर्थ—अथवा अवकीर्णी ब्रह्मचारी गधे से यज्ञ करे । १३ । भूमि में
गधे के मांस का पुरोडाश पकावे । १४ । पानी में उस के हृदय जीभ पसली
आदिका होम करे । अग्नि में नहीं । वचन से ॥ यह उस का भाष्य है । जो कि—

अग्निं दूतं पुरोदधे०

इत्यादि यजुर्वेद (२२ । १७) के मन्त्र से विपरीत है । क्योंकि यहां वेद
में अग्नि को देवदूत कहा है, और जल को कहीं देवदूत नहीं कहा ।

४—शिश्नात्प्राशित्रावदानम् १ । १ । ७

इस सूत्र में कहा है कि गधे के उपस्थेन्द्रिय से प्राशित्रावदान बनावे ।
ऐसे २ निन्दितकर्माँ को विहितभाव से लिखा है ॥ और २०वें सूत्र के भाष्य में
कात्यायनकृत कर्मप्रदीप का २ । ९ । १७ । १८ (नस्वेग्नावन्यहोमः ०) इत्यादि श्लोक
लिखा है और श्लोकरचना का समय सूत्ररचना के समय से नवीन है । और कर्म-

प्रदीप को भी हम भाष्य में कात्यायनकृत लिखा देखा जाता है (इस से यह कात्यायनकृत ग्रन्थ नूतनग्रन्थ जाना जाता है) और हम कात्यायनसूत्र के किये (पत्नी पिण्डप्राशन करे) इस विनियोग के मानने न मानने को इस विषय का साधक वा साधक भी नहीं देखते कि मरे हुये पितरों के निमित्त पिण्डदान किया जावे । किन्तु विनियोग कुछ क्यों न हो, परन्तु वह जीवितश्राद्ध का साधक वा मृतश्राद्ध का साधक नहीं है । “ वहन्तीः ” इत्यादि पद “ स्वधा ” के विशेषण हैं । देवता का चेतन होना भी प्रथम तो साध्य है (सिद्ध नहीं) तिस पर भी वहां देवता शब्द नहीं आया । अतः देवता का लिखना ठीक नहीं है ।

रामप्रसाद-प्रधान आर्यसमाज ॥

समाज के इस लेख का और पूर्व (पृ० २० । २१ में छपे) लेख का उत्तर पं० भीमसेन जी ने यह लिखा कि:-

ओ३म्

- १-नैषा तर्केण०-इतिवचनंतर्केणबुद्धिश्चलतीतिज्ञापयितुम् । भारतवचनमपि धर्मपरम् । कर्मकाण्डं च सर्वधर्ममूलमेवास्ति ॥
- २-योऽवमन्येतेतिपद्येहेतुशास्त्रवचनंतर्कशास्त्रपरम् । यस्तर्केणानुसंधत्ते-इत्यादिवचनानिवेदाद्यर्थस्यानुसन्धानार्थानि । ग्रन्थानुकूलोऽर्थः प्रत्येतव्यः । नतु प्रत्यक्षोऽर्थस्तर्केणनिराकरणीयवृत्तियोगमन्येतेत्यादिनासूचितम् ।
- ३-शतपथकातीयसूत्रादिभ्योभवत्कल्पनंवेदमन्त्रेषुविरुद्धंजीवतांश्राद्धमिति ।
- ४-वैशेषिकवचनानांनकोऽपिश्राद्धेनसम्बन्धः ।
- ५-श्रुत्यर्थोययारीत्यासम्यग्युक्तःप्रतीयतेसायुक्तिस्तुसर्वास्तिकाभिमतैवास्ति ।
- ६-नहिपूर्वोक्तमवल्लिखितवेदवचनेषुजीवतांश्राद्धंभवति ॥ जीवतांसेवाकार्यसैव श्राद्धपदवाच्येतिनकाप्यायातम् । तस्माद्युष्माभिर्नस्वप्रक्षःसमर्थितः ।
- ७-जीवतां श्राद्धं भवत्पक्षोनास्माकं । यदि स्वपक्षोयुष्माभिर्नसाधयितुं शक्यते तर्हि निग्रहस्यानमायातम् ॥
- ८-जीवितप्रभाषणंतत्रास्तिनजीवितशब्दस्तत्रविद्यते । कस्मिन्मन्त्रेजीवतां सेवनंश्राद्धमिति लिखितम् । तल्लेख्यम् ॥
- ९-येअग्निष्वात्तायेअनग्निष्वात्तामध्येदिवःस्वधयामादयन्ते । य० १९ । ६० ।

यामग्निरेवदहन्त्स्वदयतितेपितरोअग्निष्वात्ताः । शतपथ २ । ६। १।७ ।

अन्यवेदेषुतएवअग्निदग्धपदेनोक्ताअतःसिद्धंमृतपितृणांआहुंपितृयज्ञोवा ।

(द्वितीयं पत्रम्)

ओ३म्

ह० भीमसेन शर्मा

१-वैशेषिकसांख्यशास्त्रयोःप्रमाणान्यप्रासङ्गिकान्येवसन्ति नचतेषांप्रमाणानां
आहुंपितृयज्ञाभ्यां * विशिष्टः सम्बन्धोद्गृह्यते ॥

२-परमेश्वरस्यव्यापकत्वादयोहेतवोभवतांस्वकल्पिताएवसन्ति ।

३-कात्यायनवचनानांवेदानुकूलतयाऽस्त्येवप्रामाण्यम् । नचगर्दभेज्यादयोवे-
दाद्विरुद्धाः । अपितुवेदानुकूलाएव । सम्प्रतितेषांसमयोऽधिकारित्वाभावा-
न्नास्ति वेदःसार्वकालिकोऽस्ति । नचसर्ववेदोक्तंकर्मसर्वदाकर्तुंशक्यते । अ-
ग्नेर्दूतत्वमप्सुहोनेनैवविरुध्यते सामान्यविशेषन्यायेनद्वयोरेवसार्वकत्वात् ।
शिआत्प्राशित्रावदानमित्यलौकिकभिन्नकालीनंच । कर्मप्रदीपग्रन्थोविशेषेण
स्मार्तद्वंद्वश्रौतं न तयोःसर्वांशेमाभ्यम् । अर्वाचीनंयदिसर्वमप्रमाणंतर्हि
मत्यर्थ*काशादीनामाधुनिकत्वादप्यप्रामाण्यमङ्गीकार्यम् । यस्यमन्त्रस्ययत्र
विनियोगस्तादृशएवतर्थाऽपिभवत्येवानोमृतपितृआहुनेनतस्यसम्बन्धः ।
स्वधापदंविशेष्यकस्यवाचकं ? मन्त्रेकर्तृवाचकंपदंकिमस्ति । विशेष्यविशेष-
णयोःकिलक्षणम् ? ।

ह० भीमसेन शर्मा

अर्थ-(नैवा तर्कण०) यह वचन यह जललाने को है कि तर्क से बुद्धि
चलती है । भारत का वचन भी धर्मविषयक है । और सन्न कर्मकाण्ड का
मूल भी धर्म ही है ॥

२-(योवमन्ये०) इस श्लोक में हेतुशास्त्रकथन तर्कशास्त्रविषयक है ।
(यस्तर्कणानुसंधत्ते०) इत्यादि वचन वेदादि के अर्थ का अनुसंधान करने
के लिये हैं । ग्रन्थानुकूल अर्थ समझना चाहिये न कि प्रत्यक्ष अर्थ का तर्क
से खण्डन करना चाहिये । यह (योवमन्ये०) इत्यादि से सूचित है ।

३-शतपथ कातीयमूत्रादि से, आप की कल्पना जीवितों का आहु वेद-
मन्त्रों में विरुद्ध है ॥

४-वैशेषिकवचनों का आहु से कोई सम्बन्ध नहीं ॥

५-वेदार्थ जिस रीति से ठीक युक्त समझा जाता है वह युक्ति तो सब
आस्तिकों की मानी हुई ही है ॥

६-पूर्वोक्त वेदमन्त्रों में जो आपने लिखे हैं, जीवितों का आहु नहीं है ।

* अक्षरार्थोद्विवचनं च चिन्त्यम्

जीवतों की सेवा करनी चाहिये वही आहु कहाती है ऐसा कहीं भी नहीं आया । इस से आपने अपना पक्ष सिद्ध नहीं किया ॥

७-जीवतों का आहु होता है, यह आप का पक्ष है । हमारा नहीं । यदि आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते तो गिरहस्थान आया ॥

८-जीवित का प्रमाण वहां नहीं है, न जीवित शब्द है । किस वेद-मन्त्र में जीवतों का लिखा है, उसे लिखिये ॥

९-(ये अग्निष्वात्ताः०) इत्यादि यजुः १९ । ६० (यानग्निरेवदहन्त्स्व-दयति०) इत्यादि शतपथ २।६।१।७ अन्य वेदों में उन्हीं को अग्निदग्ध पद से कहा है । अतः मृतआर्द्र वा पितृयज्ञ मिद्ध हुवा ॥ ह० भीमसेन शर्मा

पृ० २५ में छपे आर्यसमाज के पत्र का उत्तर पं० भीमसेन जी ने नीचे लिखे अनुसार दिया था:-

अर्थ-वैशेषिक और सांख्यशास्त्र के प्रमाण अप्रासङ्गिक ही हैं और उन का १ आर्द्र २ पितृयज्ञ से विशेष सम्बन्ध नहीं दीखता ॥

२-परमेश्वर के व्यापकत्वादि हेतु आप के निज कल्पित ही हैं ॥

३-कात्यायन के वचनों की वेदानुकूल होने से प्रामाणिकता है ही । और गर्दभेज्यादि यज्ञ वेदविरुद्ध नहीं हैं किन्तु वेदानुकूल ही हैं । और समस्त वेदोक्त कर्म सब काल में नहीं किया जा सकता । अग्नि का दूतपना जलों में होम से विरुद्ध नहीं है क्योंकि सामान्य विशेषन्याय से दोनों सार्थक हैं । (गधे के) उपस्थेन्द्रिय से प्राशित्रावदान बनाना, यह अलौकिक और भिन्न काल के लिये है । कर्मप्रदीपग्रन्थ विशेष करके स्मार्त है, और यह श्रौत है, इन दोनों से सर्वांश में समता नहीं है । यदि नवीनग्रन्थ सब अप्रामाण्य हैं तो मृत्यार्थप्रकाशादि की भी नवीन होने से अप्रामाण्यता स्वीकार कीजिये । जिस मन्त्र का जिस में विनियोग है वैसा ही उस का अर्थ भी होता है । इस से मृतपितृआर्द्र से उस का सम्बन्ध है । स्वधापद विशेष्य किस का वाचक है । मन्त्र में कर्तृवाचक पद क्या है । विशेष्य विशेष्य का क्या लक्षण है ?

ह० भीमसेन शर्मा

उक्त दोनों पत्रों के समाज की ओर से क्रमपूर्वक ये उत्तर गये थे:-

ओ३म्

१-नैषातर्कैतेत्यादिवचने (एषेतिपदं) प्रकरणगतब्रह्मविद्यापररूपष्टमस्तो-
न्यत्कल्पनीयम् ॥

२-योऽवमन्यतेत्यादिमनुष्यचनंनास्मत्पक्षेविरुध्यते । यतीनवयंकेवलतर्कशास्त्रा-
श्रयात्तन्निरादरंकुर्मोऽपितु तस्याऽवैदिकत्वात् । उक्तं च-यावेदवाच्याःस्मृतयो
याश्चकाश्चकुटूहयः । सर्वास्तानिष्फलाःप्रेत्यतमोनिष्ठाहिताःस्मृताः । इति ।
यदाचदेवेषुसृतागांपिण्डदानादिनदृश्यते भवस्त्रिखितेषुमनुष्यचनेषु च दृश्यते
तदातानिमनुष्यचनानिअवैदिकानीतिमन्यानावयं नतद्वीषभागः ॥

३-अस्मिन्निखितोऽर्थोनभवदुद्धृतब्राह्मणसूत्रादिभ्योऽपिबिरुध्यते । अस्तिचे-
द्विरोधोदर्शनीयः । यानिचवक्ष्यमाशानिकातीयसूत्राणिअस्मत्पक्षविरुद्धानि
ननानिमन्त्रविनियोगंपिण्डदानादौदर्शयन्ति अतोनास्मत्पक्षेविरोधस्तेः ॥

४-वैशेषिकवचनैर्नास्माभिःआहुपक्षःभाध्यत्वाऽभाध्यत्वंनीयनेऽपितुवैशेषिकादि-
भिरभिमतैर्नार्थान्नायेनभवत्पक्षविरोधोदर्श्यते ॥

५-असत्यपिजीवितशब्देगमनाऽऽगमनभाषणश्रवणादिव्यवहारदर्शनात् स्पष्टंजी-
वितत्वम् ॥

६-येअग्निदग्धायेअनग्निदग्धाः । अथवा-येअग्निष्वात्तायेअनग्निष्वात्ताःइत्या-
दीनिवेदवचनानि नभवदभिमतसूक्ष्मपरोक्षपितुपराणि,तेषांदाहादेरभावात् ।
किंचदेहाएवदह्यन्तेनवाऽग्निनादह्यन्ते । येपितरोस्मदादिपितुदेहाःअग्नि-
नादग्धायेषकेनचित्कारणेन नदाहंप्राप्ताःतेदिवःआकाशस्यमध्येसूक्ष्माणुभाव-
परिणताः सन्तःस्वधयापितुनिमित्तदत्ताहुत्याऽन्नेनगादयन्तेसदऽवस्थां प्राप्नु-
वन्ति । तेभ्यः तज्जीवेभ्यःस्वराड् परमात्मायमोवायुर्वा (एतामसुनीतिं)
प्राणप्राप्तिं (यथावशम्) स्वाधीनभावेनतन्व्यंकल्पयानिममर्षयति । नात्रपि-
ण्डदानविधानमपितुदेहान्तरप्राप्तिरेषाभवदभिमतार्थेनैवप्रतिपादिता ॥

७-शतपथवचनंचापिपुतदणपरमेव । नानेनाऽपिसृतपिण्डदानंसिध्यति ॥

८-मृतपितृयज्ञोफलादेशवाक्यंविधिवैवाक्यंचलेख्यम् । वाक्यंचवेदवाक्यंस्यात् ॥

(द्वितीयं पत्रम्) ओ३म्

१-वैशेषिकसांख्यवचनानांप्रासङ्गिकत्वंपूर्वपत्रेस्माभिरुदितम् ॥

२-गर्दभेज्यामूलवेदोक्तास्ति । नास्तिचेत्स्पष्टाऽवैदिकता । अस्तुचभवदभिमतो
गर्दभेज्यादिधर्मः । अनेर्देवदूतत्वंवेदविहितं परमपादंदेवदूतत्वमपियदिवेद-
विहितंतर्हि वेदमन्त्रावक्रव्याः । नास्मदाद्यआर्याहमनाऽहिंसादिधर्मविरुद्धं
धर्मं (धर्माभासम्) धर्मत्वेनमन्यामहे । “अनेयंयज्ञमध्वरंविश्वतः” (ऋ०
१ । १ । ४) अत्रवेदमन्त्रेऽध्वरपदार्थेसायणेनाऽपिहिंसाराहित्यस्यप्रतिपादनं
स्पष्टंकृतं ततश्चहिंसाविशिष्टागर्दभेज्यास्पष्टैववेदविरुद्धा ॥

३-मत्यार्थप्रकाशादयोनस्वतन्त्रग्रन्था अपितुस्मृतिप्रतिपादितस्यश्रुतिप्रसूतिप्र-
तिपादितस्यचधर्मस्यव्याख्यानभूताः । अतएवनैतेषांनूतनतयाकापिहानिः।
स्वधापदंविशेष्यजलवाचकमुदकवाचकंघनिघट्टप्रोक्तम्। तदेवचकर्तृवाचकम्।
व्यावर्तकत्वंविशेषणत्वं, व्यावर्त्यत्वविशेष्यत्वम् । परंभगवन् नैतेनप्रकरणा-
ऽसहायकेनवाक्यजातेनप्रश्नजातेनवाक्यमपिहस्तगतंभविष्यति । प्रकरणा-
मनुसरन्तु ॥

४-असंभवस्याऽपि वेदाऽर्थस्य यदिभवद्भिःप्रामाण्यमन्यतेतर्हि-बुद्धिपूर्वावाक्
प्रकृतिर्वेदे (वैशे० ६।१।१) इत्यतोविरुध्यते ॥

पृ० २६ । २७ में छपे पं० भीमसेन जी के पूर्व पत्र का उत्तर-

अर्थ-१-(नैषानर्कण०) इत्यादि वचन में (एषा) यह पद ब्रह्मविद्या
का वाचक है जिस से ब्रह्मविद्या का प्रकरण रूप है । इस से अन्य कल्पना
करनी नहीं चाहिये ॥

२-(योगवमन्येत०) यह अनुवचन हमारे पक्ष से विरुद्ध नहीं पड़ता, क्यों
कि हम केवल तर्कशास्त्र के ही आश्रय से (आप के लिखे मृतश्राद्धविषयक)
श्लोकों का निरादर नहीं करते हैं किन्तु उस (मृतश्राद्ध विधि के, जो आपने
मनु से प्रस्तुत की है) के वेदमूलक न होने से (हम निरादर करते हैं) ।
और कहा भी है कि-

यावेदबाह्याःस्मृतयो याश्चकाश्चकुट्टयः ।

सर्वास्ता निष्फलाःप्रेत्यतमोनिष्ठा हि ताःस्मृताः ॥

जब कि वेदों में मृतकों का पिण्डदानादि नहीं देखा जाता और आप
के लिखे अनुवचनों में देखा जाता है तो वे अनुवचन अवैदिक हैं, तब उन को
न मानने से हम पर वह (नास्तिकता का) दोष नहीं लगता ॥

३-बल्कि हमारा लिखा वेदमन्त्रार्थ आप के उद्धृत ब्राह्मण सूत्रादि से भी
विरुद्ध नहीं है । यदि है तो विरोध दिखाइये । और जो आगे आप
कात्यायनसूत्र (अनुमान) प्रस्तुत करेंगे, जो हमारे पक्ष के विरुद्ध भी
हों तो वे सूत्र पिण्डदानादि में मन्त्रका विनियोग नहीं दिखलाते हैं । इस
से उन के साथ हमारे साध्य (वेदार्थ) में विरोध नहीं (आवेगा) ।

४-वैशेषिकादि के वचनों से हमने श्राद्धपक्ष साध्य वा असाध्य नहीं बताया
किन्तु वैशेषिकादि ऋषिपरिपाटीसे आपके पक्ष का विरोध दिखलाया है

५-जीवित शब्द न होने पर भी जाना आना खेलना सुनना आदि व्यवहार (वेद में) देखने से जीवता होना स्पष्ट है ॥

६-ये अग्निदग्धाः० इत्यादि अथवा-ये अग्निदग्धाः० इत्यादि वेदवचन आप के अभिसृत सूक्ष्म परोक्ष पितरों के विषय में नहीं है क्योंकि वे (सूक्ष्म परोक्ष आप के साने हुये पितर) दग्ध नहीं किये जाते । किन्तु देह ही अग्नि से फूँके जाते हैं वा नहीं फूँके जाने पाते । इस से उस का तात्पर्य यह है कि "जो (हमारे वा किसी के) पितृजनों के देह अग्नि से दग्ध किये गये वा जो (किसी कारण) दग्ध नहीं कर पाये गये वे देह आकाश में सूक्ष्म अणुभाव में बदले हुये स्वधा=आहुति रूप अन्न में अच्छी अवस्था को प्राप्त होते (रोगादिकारक न रह कर सुधर जाते) हैं । उन के जीवों के लिये (स्वराट्) परमात्मा यम वा वायु स्वाधीनभाव से प्राणप्राप्ति और दूसरा देह प्राप्त कराता है ।" इस में पिण्डदान का विधान नहीं है किन्तु देहान्तरप्राप्ति है जो कि यह आप के साने हुये (सहीधरुत) अर्थ से भी दिखलाई गई ॥

७-शतपथ का वचन भी इसी अर्थ में है, उस से भी मृतपिण्डदान सिद्ध नहीं होता ॥

८-मृतपितृयज्ञ में कलादेशवाक्य और विधिवाक्य लिखिये और वह वेद-वाक्य हो ॥ रामप्रसाद-प्रधान आर्य्यसनाज ॥

दूसरे पत्र के पृ० २८ में ऊपे भाषानुवाद का उत्तर यह है:-

१-अर्थ-वैशेषिक और सांख्य के वचनों की प्रसंगानुकूलता हम पूर्व पत्र में कह चुके हैं ॥

२-गर्दभेज्या का मूल वेद में कहाँ है ? यदि नहीं है तो अवैदिक होना स्पष्ट है । आप चाहें गर्दभेज्यादि की धर्म माना करें । अग्नि का देवदूत होगा (अग्निं दूतं० यजुः २२।१७) वेदविहित है । परन्तु यदि जलों का देवदूतत्व भी वेदविहित है तो वेदमन्त्र कहिये । हम आर्य्य लोग इस अहिंसादि धर्म के विरुद्ध धर्माभास की धर्म नहीं मानते ॥

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः (ऋ० १।१।४)

इस वेदमन्त्र में "अध्वरम्" पद के अर्थ में सायणाचार्य ने भी यज्ञ को हिंसारहित होना स्पष्ट प्रतिपादित किया है । जिस से कि हिंसाविशिष्ट गर्दभेज्या स्पष्ट वेदविरुद्ध है ॥

३-सत्यार्थप्रकाशादि स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है किन्तु श्रुति स्मृति आदि से प्रतिपादित धर्म के व्याख्यानरूप हैं । इस से उन के नूतन होने से कोई हानि नहीं । “ स्वधा ” पद विशेष्य है और जल का नाम है जो निघण्टु में कहा है और वही कर्तृवाचक है । व्यावर्तक को विशेषण और व्यावर्त्य को विशेष्य कहते हैं । परन्तु भगवन् ! इस प्रकार के प्रकरण को सहायता न देने वाले वाक्यों वा प्रश्नों से कुछ हाथ न आवेगा, प्रकरण के साथ चलिये॥

४-यदि आप असंभव वेदार्थ को भी प्रमाण करते हैं तो-

बुद्धिपूर्वा वाक्प्रकृतिर्वेदे (वैशे० ६ । १ । १)

इस से विरुद्ध पड़ता है ॥ रामप्रसाद—प्रधान आर्यसमाज ॥

पं० भीमसेन जी ने समाज के दोनों पत्रों के क्रम से ये उत्तर दिये कि:—

ओ३म्

१-नैपातर्कणेतिपदंविशेषतयाब्रह्मविद्याप्रकरणउक्तमपिसामान्येनसर्वत्रैवसंच-
तते। यथा-दृष्टिपूतंन्यसेत्यादमिति सन्यासप्रकरणोक्तमपिसर्वाश्रयार्थंभवति।
एवमत्रापिबोध्यम् ॥

२-मृतपितृयज्ञस्यब्राह्मणश्रुतिवाक्यैःस्पष्टंसिद्धस्यभवद्विरवमानंक्रियते।तीयोऽ-
वमन्येतेतिमनुवचनानुकूलंभवतांपक्षोद्भासमापन्नएव । पितृयज्ञसाधकश्रु-
तीनांवेदानुकूलत्वंसिद्धमेव वेदब्राह्मण्यत्वंचसाध्यकोटिस्थम् ॥

३-ब्राह्मणसूत्रादिस्थपितृयज्ञविनियोगेनभवदर्थोविरुद्धएव । मध्यमपिण्डप्रा-
शनमन्त्रार्थवत् ॥

४-वैशेषिकवचनैर्तास्मत्पक्षेकोऽपिविरोधः ॥

५-गमनागमनादिदेयवहारोमृतेष्वपिसम्भवति। जीवितकल्पनाचसर्वार्थप्रमा-
णविरुद्धा ॥

६-आहुतिर्देवयज्ञोऽनृतपितृयज्ञः । मृतपित्रर्थमाहुतिस्तुभवद्विःस्वीकृता तत्राहु-
तिकलं यदि तेभ्यः प्राप्नोतितदापिण्डदानपरिणामोऽपितेनैवप्रकारेणप्रा-
प्स्यति ॥ शरीरस्यायेपरमाण्वोदह्यन्तेतएवपरिणताःपितृत्वमाप्नुवन्ति ।
मृतपिण्डदानार्थंयच्छतपथादिप्रमाणंतत्पौषकामन्त्रा मयोदाहृताः । नच
तदर्थंब्राह्मणादिग्रन्थाभवदर्थानुकूलाअपितुमदर्थानुकूलाःस्पष्टाएव ।

७-शतपथवचनेनमृतपितृभ्योऽग्निष्वासेभ्योदानंस्पष्टमेव ॥

८-यदा च सर्वएवमृतपितृयज्ञप्रतिपादकोग्रन्थसमुदायोविद्यते तदा किमुच्यते

विधिवाक्यं लेख्यमिति । असावेतत्तद्व्यवयवजनानस्यपित्रे । शत० २ । ४ । ३ । १९ ।
इत्यादीनिवाक्यानि विधिपराणि । युष्माभिर्जीवितपितृयज्ञविधिवाक्यं यत्
इच्छन्तिलेख्यमेव ॥

ह० भीमसेनशर्मा

(द्वि० पत्रम्)

- १-मृतश्राद्धखण्डनं जीवितश्राद्धमखण्डनं च भवतां पक्षीनतेन कोऽपि वैशेषिकादिवच-
नानां सम्बन्धस्तस्मादप्रासङ्गिकम्* ॥
- २-वेदे पाशुकर्म सर्वमेव गर्दभे ज्यादिमूलं विहितादितरप्रसङ्गे सर्वे एव हिंसा निषेधः
- ३-सत्यार्थप्रकाशादिषु गरीयान्मूलेखी मनोऽनुकूलस्तत्र भवतां न तस्य श्रुतिस्मृतिभ्यां
कोऽपि सङ्गतिं दर्शयितुं शक्नुवति । स्वधापदमुदकवाचकमयमेवार्थो न यापि पूर्वमुक्तः
- ४-नास्ति कोऽपि वेदार्थोऽसम्भवः । अपितु भवतां मुद्रावेव सर्वोऽसम्भवोऽस्ति ।
अतएव बुद्धिपूर्वावाक्यकृतिरितितथ्यमेव ॥

ह० भीमसेनशर्मा

अथ पितृयज्ञप्रमाणानि

- १-पितृयज्ञः स्वकालविधानादनङ्गः स्यात् । तुल्यवचनप्रसंख्यानात् । प्रतिषेधे च
दर्शनात् । यज्ञपरिभाषासूत्राणि । सू० ८३-८५ । अनावास्यायां पितृयज्ञ-
यज्ञेन पितृन्प्रीयातीति च ब्राह्मणम् । अनावास्यायामेव पितृयज्ञः किमर्थः किं भव-
त्यसंजीवितपितृभ्यो नासि नासि सकृदेवाज्जलादिकं देयम् ॥
- २-शतपथे यत्पितृहृदानं पितृहृदपितृपञ्चप्रकरणसङ्गतकस्माद्वेदमन्त्राद्विरुद्धं स वेद-
मन्त्रसदाहार्यः ॥
- ३-आश्वलायनगृह्यसूत्रेऽन्त्येष्टिकर्मोत्तरं यच्छ्राद्धाधानां पार्वणादीनां प्रतिपादनं
तदप्रामाण्ये को हेतुः । तदुक्तमधुपर्कादिकर्मस्वीकारे च किं वेदानुकूल्यमित्यालोच्य
स्पष्टमुत्तरं सप्रमाणं ददुमभवन्तइत्याशये ॥

ह० भीमसेनशर्मा

पृ० २९ व३०-३१ में मुद्रित आर्यसमाज के प्रथम पत्र का उत्तर-

- १-अर्थ- (नैषा तर्कण) यह पद विशेषतया ब्रह्मविद्या के प्रकरण में
कहा हुआ भी सामान्य से सब जगह ही घटता है । जैसे (दृष्टिपूर्तं न्यसेत्
पादम्) यह संन्यासप्रकरण में कहा हुआ भी सब आश्रमियों के लिये
हो जाता है । ऐसे ही यहां जानिये ॥

- २-मृतपितृयज्ञ का, जो ब्राह्मणश्रुतिवाक्यों से सिद्ध है, आप अपमान
करते हैं । अतः (योऽवमन्येत०) इस अनुवचन के अनुसार आप का पक्ष

* एकवचनम् चिन्त्यम्

गिरता ही है । और पितृयज्ञप्रतिपादक श्रुतियों की वेदानुकूलता सिद्ध ही है । और वेदविरुद्धता साध्य कीटि में है ॥

३-ब्राह्मणसूत्रादित्य विनियोग से आप का अर्थ विरुद्ध ही है । मध्यम पिण्डप्राशनमन्त्रार्थ के तुल्य ॥

४-वैशेषिक के वचनों से हमारे पक्ष में कोई विरोध नहीं ॥

५-जाना आना आदि व्यवहार मृतों में भी होसक्ता है । और जीवित की कल्पना सब आर्ष प्रमाणों से विरुद्ध है ॥

६-आहुति देवयज्ञ है, न कि पितृयज्ञ । मृत पितरों के अर्थ आहुति तो आप ने मान ही ली, वहां यदि उनको आहुति का फल पहुंचता है, तो पिण्डदान का फल भी उसी प्रकार से पहुंच जायगा । शरीर के जो परमाणु फूँके गये वे ही बदल कर पितर बन जाते हैं । मृतपिण्डदानार्थ जो शतपथादि का प्रमाण है उस के पोषक मन्त्र मैंने दिखला दिये । और उन के अर्थमें ब्राह्मणादि ग्रन्थ आप के अर्थ के अनुकूल नहीं किन्तु मेरे अर्थ के अनुकूल ही स्पष्ट हैं ॥

७-शतपथ के वचन से अग्निष्वात्त मृत पितरों को देना स्पष्ट ही है ॥

८-जब कि समस्त ही मृतपितृयज्ञ का प्रतिपादक ग्रन्थसमुदाय विद्यमान है तब यह क्या कहा जाना है कि विधिवाक्य लिखिये। (असावेतत्ते०) शत० २ ।

४ । २ । १९ इत्यादि विधिविषयक वाक्य हैं । आप जहां से चाहें जीवित पितृयज्ञ के विधिवाक्य लिखें ॥ ६० भीमसेन शर्मा

पृ० २९ । ३१ में मुद्रित आर्यमन्त्राज के द्वि० पत्र का उत्तर-

१-मृतप्रादुखण्डन और जीवितप्रादुखण्डन आप का पक्ष है । उस से वैशेषिकादि के वचनों का कोई संबन्ध नहीं । इस से अप्रामाणिक है ॥

२-वेद में सब ही पशुसम्बन्धी कर्म, गर्दभेज्यादि का मूल है । और हिंसा के निषेध, विहित (हिंसा) से अन्यत्र लगते हैं ॥

३-सत्यार्थप्रकाशादिकों में बहुत सा लेख मनमाना है, आप में से कोईभी श्रुतिस्मृति के साथ उस की संगति नहीं लगा सकता । स्वधा पद जल-वाचक है, यही अर्थ मैंने भी पूर्व कहा था ॥

४-वेद का कोई भी अर्थ असंभव नहीं किन्तु आपकी बुद्धि में ही सब असंभव है । इसी लिये " बुद्धिपूर्वावाक्यकृतिः " यह ठीक ही है ॥ ६० भीमसेन शर्मा

अथ पितृयज्ञप्रमाणानि

पितृयज्ञः स्वकालविधानादनङ्गः स्यात् ॥ तुल्यवच्चप्रसंख्यानात् ॥ प्रतिषेधे च दर्शनात् ॥ यज्ञपरिभाषामूत्र ८३—८५ “अमावास्या में पिण्डपितृयज्ञ से पितरों को तृप्त करता है” यह ब्राह्मण है। अमावास्या ही में पितृयज्ञ किस कारण ? क्या आप के पक्ष में जीवित पितरों को मासमास में एक बार ही अन्नजलादि देना चाहिये ?

२—शतपथ में जो पिण्डदान पिण्डपितृयज्ञ के प्रकरण में कहा है वह किस वेदमन्त्र से विरुद्ध है। वह मन्त्र उदाहरण में दीजिये ॥

३—आश्वलायन गृह्यमूत्र में अन्त्येष्टि कर्म के पश्चात् जो पार्वणादि आर्द्धों का प्रतिपादन है, उस के प्रमाण न मानने में क्या हंतु है। और उस में कहे मधु-पर्कादि को स्वीकार करने में क्या वेदानुकूलता है, यह विचार कर आप प्रमाण सहित स्पष्ट उत्तर दीजिये। यह आशा करता हूं ॥ ६० भीमसेन शर्मा

समाज ने इन दोनों पत्रों के ये दो उत्तर दिये कि—

ओ३म्

१—वैशंपिकादिवचनानां पूर्वपत्रं भवद्भिर्प्रासङ्गिकत्वमुक्तमिदानीं च प्राप्तं सङ्गिकत्वं स्वीकृत्य विरोधाऽभावो लिख्यतेऽतः परस्परविरोधोऽपि भवञ्जले विद्यते ॥

२—दृष्टिपूतन्यसेत्पादमित्यस्याऽन्यत्र निषेधो नास्ति अतः सर्वत्र कस्मिंश्चिदंशे संघटनं युक्तम् । परंतर्काश्रयस्याऽन्यत्र प्रयुज्यमानत्वात् नैव तेन मास्यमस्याऽऽयाति ।

३—ब्राह्मणवाक्यानि वेद्वाक्यानि वाकानि नानि सन्ति यैर्मृतपित्रादिभ्यो दानं पिण्ड-स्य सिद्ध्यति ? विन्यस्यमानानां वचनानां व्यवस्थया संगतिर्वा जीवितपक्षेऽस्मा-भिस्साध्यत एव ॥

३—ब्राह्मणोक्तविनियोगेन कोऽस्मदर्थो विरुध्यते कथं च ॥

४—सूत्रग्रन्थविहितगर्भेज्यादीनां वेदविरुद्धताऽस्माभिर्वेदवचनमुद्धृत्य स्पष्टं प्रतिपादितैव ॥

५—जीवितपक्षे यागमनागमनभाषणश्रवणादिव्यवस्थासङ्गतिर्वास्माभिः क्रियते सा ब्राह्मणवाक्यं न केन विरुध्यते ?

६—आहुत्यामृतशरीराणां वायौ परिणतानां परिशोधोऽस्माभिरलिखितः । न च तत्रैवा विचारणासीत् पितृयज्ञो न वेति । देवयज्ञो वा ॥

७—मृतपित्रर्षमाहुतिरस्माभिरमृतशरीरदाहपरोक्ता, नान्या । सा चाऽग्निद्वारा वेदविहिता, न पिण्डद्वारा ॥

८-मृतशरीरपरमाणुवैयर्थ्यपरिणताःपितृत्वमाप्नुवन्तीत्यत्रकिंगानम् । तेनचभवतां
कापक्षसिद्धिः । पक्षस्तुतदर्थेपिण्डदानविधानदर्शनम् । नहितेषांसत्तामात्र-
साधनम् ॥

९-शतपथेऽग्निवेषातेभ्यःपिण्डदानंकास्ति ।

१०-असावेतत्तद्व्यादितुजीवितपरमेव ॥

(द्वि० पत्रम्)

ओ३म्

१-यदिचवैशेषिकादिबचनानांभवत्पक्षेणविरोधोनास्तितर्हिस्मन्मन्याभावादि
कथनंकिमर्थम् ॥

२-वेदेस्मृतीवाहिसाविशिष्टोयज्ञोनशिष्टसंसतः । किञ्चसर्वकर्मस्वहिमांदिधर्मात्मा
मनुरब्रवीत् । धूर्तैःप्रकल्पितंह्येतन्नैनद्वेदेषुकल्पितम् ॥ (भारतेशान्तिपर्वणि
२६४ अध्याये) इतिभवदभिमतभारतीयशिष्टवचनेनैवरूपप्रमायाति, यद्धिं-
सापरयज्ञादिकर्मविधिर्धूर्तकल्पितइति ॥

३-यदाचसत्यार्थप्रकाशादिग्रन्थोपरिशक्त्रार्थोभविष्यतिकदाचित्तदातद्विषय-
कशास्त्रार्थवक्ष्यामःकिमपि ॥

४-यदिचआर्द्धविषयपरित्यज्यसत्यार्थप्रकाशादिग्रन्थप्रामाण्याऽप्रामाण्ययोःशा-
स्त्रार्थचिकीर्षेत्कोपितर्हितदंशेविचारःप्रवृत्तोभविष्यति । इदानींतुठभय-
पक्षाभिमतग्रन्थप्रमाणसिद्धविषयविचारःप्रवर्तते ॥

५-यदिकोऽपिवेदार्थोऽसंभवोनास्तितर्हिदयादिस्वानिलिखितवेदार्थोऽसंभवःकथं
मन्यतेभवता । मचेन्नमन्यतेतदाजीवितार्थपरंपितृयज्ञसाधकतद्ग्राह्यमेवप्रमाण-
मस्तु । नान्यार्थापेक्षाविद्यते ॥

६-पितृयज्ञपरिभाषासूत्राणिभवताविन्यस्तानि नमृतपितृयज्ञपराणिअपितुजी-
वितपराणिसंभवन्ति नास्तितत्रमृतशब्दः ॥

७-अभावास्यायांयोहिपितृयज्ञःसतुविशिष्टः । नामैनपितृणांनित्यंसेवन्ननिषिध्यते

८-शतपथोक्तंपिण्डदानंनमृतपरं किंचजीवितपरंततो नैवास्माभिर्वेदविरुद्धता
तस्यदर्शनीया । गतेनास्माकंसिद्धान्तहानिः ॥

९-आश्वलायनादिप्रोक्तपार्वणादिआर्द्धस्यसैवदशायाभवलिखितमनुवचनाना-
मितिदिक् ॥

रामप्रसाद-प्रधान आ० स० आगरा

(पृ० ३२ व ३३ । ३४ में मुद्रित पं० भीमसेन जी के प्रथम पत्र का उत्तर-)

अर्थ-१-पूर्वपत्र (पृ० २८) में वैशेषिकादि के बचनों को आपने अप्रासङ्गिक
कहा था, अब इस पत्र (पृ० ३४) में प्रासङ्गिक मान कर विरोध न होना लिखा
है । इस कारण आप के लेख में परस्परविरोध भी है ॥

२-दृष्टिपूतं न्यसेत्० इस का अन्य आश्रमों में निषेध नहीं है । इस से अन्यत्र घटा लेना ठीक है । परन्तु तर्क का आश्रय (ब्रह्मविद्या को छोड़ कर) अन्यत्र (शास्त्रों में) काम में लाया गया है । इस कारण उस (दृष्टिपूतं०) की समता इस (नैषा तर्कणा०) के साथ नहीं है ॥

३-वे ब्राह्मणवाक्य वा वेदवाक्य कीन से हैं ? जिन से मृत पित्रादिकों के लिये पिण्ड का दान सिद्ध होता है । जो वचन आपने अत्र तक लिखे हैं उन की व्यवस्था वा सङ्गति तो हम जीवितपक्ष में ही लगा रहे हैं ॥

४-ब्राह्मणग्रन्थ में कहे विनियोग से हमारा कीन सा अर्थ विरुद्ध है और किस प्रकार विरुद्ध है ?

५-सूत्रग्रन्थ में विधान की हुई गर्दभेज्या की वेदविरुद्धता हमने वेद-मन्त्र लिख कर (पृ० ३१ पं० २७ में) स्पष्ट दिखला दी है ॥

॥ ५-हमने जो जीवितपक्ष में जाने आने खोलने सुनने आदि की व्यवस्था वा सङ्गति की है वह किस ब्राह्मणवाक्य से विरुद्ध है ?

६-हमने वायु में परिणत मृत शरीरों की शुद्धि आहुति से (पृ० ३१ पं० ३ में) लिखी थी, वहां यह विचार नहीं है कि वह पितृयज्ञ वा देवयज्ञ है वा नहीं ॥

७-मृतपित्रर्थ आहुति जो हमने लिखी है वह मृत शरीरों के दाहविषयक कही है । अन्य कोई नहीं । और वह वेद ने अग्निद्वारा कही है, न कि पिण्डद्वारा ॥

८-इस विषय में क्या प्रमाण है कि मृत शरीर के परमाणु ही परिणत हो कर पितर बन जाते हैं । और उस से आप के पक्ष की क्या सिद्धि है । पक्ष तो (आप का) यह है कि उन के लिये पिण्डदान दिखलाना, न कि उन का होना मात्र सिद्ध करना ॥

९-शतपथ में अग्निष्वात्तो के लिये पिण्डदान कहाँ है ?

१०-"असावेतत्ते=यह आप के लिये है" यह ती जीवितों के लिये ही (शतपथ में) कहा है ॥

रामप्रसाद-प्रधान आर्यसमाज

पृ० ३३ । ३४ में ऊपे दूसरे पत्र का उत्तर-

अर्थ-यदि कैशेषिकादि के वचनों का आप के पक्ष से विरोध नहीं है तो "उन का सम्बन्ध कुछ नहीं" इत्यादि कथन आपने (पृ० ३४) क्यों किया था ?

२-वेद वा स्मृति में किसी शिष्ट ने हिंसाविशिष्ट यज्ञ नहीं माना । प्रत्युत-

सर्वकर्मस्वहिंसाहिधर्मात्माननुरब्रवीत् ।

धूर्तेः प्रकल्पितं ह्येतन्नैतद्देवेषु कल्पितम् ।

(महाभारत शान्तिपर्व अ० २६४) इस आप के माननीय भारत के वचन से ही स्पष्ट पाया जाता है कि हिंसायुक्त यज्ञादिकर्मविधि धूर्तों ने कल्पित की है (मनु वा वेद में नहीं थी) ॥

३-यदि कभी सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थों पर शास्त्रार्थ होगा तो उस विषय के शास्त्रार्थ में कुछ (उस विषय में) कहेंगे ॥

४-यदि आहु विषय को छोड़ कर सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थों के प्रामाण्य-प्रामाण्य पर कोई शास्त्रार्थ करना चाहेगा तो उस अंश पर विचार चलेगा। अभी तो समयपक्षसम्मत ग्रन्थों के प्रमाण से सिद्ध विषय का विचार प्रवृत्त है ॥

५-यदि कोई भी वेदाऽर्थ असंभव नहीं है तो स्वामीद्यानन्द सरस्वती जी लिखित वेदार्थ में आप असम्भव क्यों मानते हैं । यदि नहीं मानते तो जीवितार्थविषयक पितृयज्ञसाधक उन का भाष्य ही प्रमाण हो ॥

६-आप ने जो (पृ० ३४ में) पितृयज्ञविषयक परिभाषामूत्र लिखे हैं वे मृतपितृयज्ञपरक नहीं हैं । किन्तु वे जीवितपितृयज्ञपरक हैं । उन में मृत शब्द नहीं है ।

७-अमावास्या का पितृयज्ञ विशेष है । उस से नित्य पितृसेवा का निषेध नहीं आता ॥

८-शतपथोक्त पिण्डदान भी मृतविषयक नहीं किन्तु जीवितविषयक है। इस लिये हम को उस की वेदविरुद्धता नहीं दिखलानी है । उस से हमारी सिद्धान्तज्ञानि नहीं है ॥

९-आश्वलायनादि के कहे पार्वणादि आहु की वही दशा है जो आप के लिखे समुच्चनों की है । यह संक्षेप है ॥ रामप्रसाद-प्रधान आर्यसमाज

इन पत्रों का पं० भीमसेन जी की ओर से उत्तर —

ओ३म्

१-वैशेषिका * वचनानामप्रासङ्गिकत्वमेवमयाग्रत्यपादि नप्रासङ्गिकत्वम् ॥

२-वक्ष्यन्तं जलं पिबेदित्यस्यान्यत्रविधिर्नास्ति तेन सामान्यतया सार्वत्रिकं वचोवि-

शेषसंस्यासिनां तर्कोऽप्रतिष्ठ इति वचो धर्मविषयक * एव-असम्मानमपि धर्म

* अक्षरार्थः, लिङ्गस्याऽज्ञानं च चिन्त्यम् ।

एवास्ति ॥

३-सद्दाति-असावेतत्ते-इत्यादीनिब्राह्मणवाक्यानिपिबृहदानपराणि ॥

४-आधत्तपितरो० अत्रपितरो०-इत्यादिमन्त्रार्थीयथाविनियोगेनविरुध्यतेतथा
मयाह्यःप्रदर्शितःस्वव्याख्याने ॥

५-नकोपिवेदमन्त्रेणगर्दभेजयायाविरोधस्तदंशेविषादोऽपिनार्थसाधकः ।

६-जीवितपक्षेगमनागमनादिव्यवस्थौदकविधिनाब्राह्मणोक्तपिबृहदानेनविरुध्यते
तद्यथाजल्लुपेऽभिषिञ्चेदेवंतत् । श० २ । ४ । २ । २३ । इत्यादिवाक्यैर्विरुद्धेष्व
जीविताग्रहः ॥

७-परिशोधएवफलावाप्तिस्तदेवागतम् ॥

८-मृतपित्रर्थमाहुतिर्नदाहपरोक्तालेखस्तुविद्यतएवतदभ्याभितुमर्हति ॥

९-येअग्निदग्धाइत्यादिमन्त्राएवदग्धानांपितृत्वेमानम् । मृतपितृभ्यःआहुदान-
मितिपक्षसिद्धिःस्पष्टैव ॥

१०-अग्निष्वात्तामृताःपितरस्तेभ्यमाहुतिदानस्वीकारेभवतांविक्सपोऽस्तिनवा ।

११-असावेतत्तइतिकथंजीवितपरम् ॥ ६० भीमसेनशर्मा

(द्वि० पत्रम्)

१-वैशेषिकादिवचनानिजीवितप्रतिपादकानिच मृतआहुतिषेधपराणिपुनर-
नेनप्रकरणेनकःसम्बन्धः ॥

२-वेदविरुद्धंमृतविवक्षस्त्याज्यंनभारता * प्रमागौर्वेदःखण्डयितुंशक्यः ॥

३-सत्यार्थप्रकाशादिवद्वैशेषिकवचनान्यपिभिन्नार्थपराणिनात्रप्रयोजयन्ति ॥

४-योवेदार्थोब्राह्मणसूत्रादिग्रन्थानुकूलःसएवसम्भवमि स्वाभिन्नोऽन्यस्यानान्यः

५-पिबृहपितृयज्ञोजीवत्सुनकदापिसंघटतेऽपितुमृतेष्वेवसंघटतेनायंनियमोऽस्ति
मृतशब्दमन्तरामृतार्थोऽनसम्भवतीति ॥

६-स्वपितृणांनित्यसेवनस्यआहुंनानास्तिनवा । अस्तिचेतस्यकीविधिःकिंचलेख-
प्रमाणम् ॥

७-पिबृहपितृयज्ञेपितरोननुष्येभ्योभिक्षाइतिशतपथलेखात्तेभ्यएवपिबृहदानं न
जीवद्भ्योननुष्येभ्यइति ॥

८-आश्वलायनमन्त्रादिवाक्यानिआहुप्रतिपादकानिवेदानुकूलानिसन्त्येव । यो
ब्रूयाद्वेदविरुद्धानीति स विरोधं दर्शयेत् ॥

* अक्षरभ्रंशश्चित्यः

९-भवतांमतेनित्यश्राद्धं किमस्ति कलिलिखितं चलिखन्तु ॥ इ० भीमसेनशर्मा

पृ० ३७ में छपे समाज के पत्र का उत्तर-

अर्थ-१-वैशेषिकादि के वचनों की अप्रासङ्गिकता ही मैंने प्रतिपादन की थी । प्रासङ्गिकता नहीं ॥

२-(वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ०) इस का अन्यत्र विधान नहीं है । इस से सामान्य करके सर्वत्र के लिये जो वचन है वह विशेष करके संन्यासियों का । (तर्कोऽप्रतिष्ठः ०) यह वचन धर्मविषयक ही है । ब्रह्मज्ञान भी धर्म ही है ।

३-(सद्दाति-अमावेतते) इत्यादिब्राह्मणवाक्यप्रसङ्गदान के विषय में हैं ।

४-(आधत्त पितरः ०) इस में मन्त्र का अर्थ किस प्रकार विनियोग से विरुद्ध है सो मैं कल अपने (मौखिक) व्याख्यान में दिखा चुका हूँ ।

५-गर्दभेक्षया का मन्त्र में कोई विरोध नहीं । इस अंश में विवाद भी अर्थसाधक नहीं ॥

६-जीवितपक्ष में गमनआगमन आदि व्यवस्था ब्राह्मणोक्त उदकविधि से विरुद्ध है (तद्यथाजक्षुषेभिषिञ्चेदेवंतत् ०) श० २ । ४ । २ । २३ इत्यादि वाक्यों से जीवित का पक्षपात विरुद्ध है ॥

७-शुद्ध होना ही कलप्राप्ति है, वही आगया ॥

८-मृतपित्रर्थ आहुति दाहपरक नहीं कही, लेख तौ विद्यमान है ही उस से अन्य नहीं होसकी ॥

९-येअग्निदग्धाः ० इत्यादि मन्त्र ही दग्धों के पितृत्व में प्रमाण हैं । मृत पितरों के लिये आहु देना, यह स्पष्ट ही पक्ष की सिद्धि है ॥

१०-अग्निदग्धाः मृतपितरों के लिये आहुति देना स्वीकार करने में आप की विकल्प है वा नहीं ॥

११-अमावेतते० यह जीवितपरक किस प्रकार है ॥ इ० भीमसेन शर्मा

पृ० ३७ । ३८ में मुद्रित समाज के द्वितीय पत्र का उत्तर-

अर्थ-१-वैशेषिकादि के वचन न तौ जीवितश्राद्ध के विधायक हैं, न मृतश्राद्ध के निषेधक हैं, फिर इस प्रकरण से क्या सम्बन्ध है ?

२-वेदविरुद्ध स्मृति त्याज्य है नकि भारत के प्रमाणाँ से वेद का खण्डन किया जा सकता है ॥

३-सत्यार्थप्रकाशादि के तुल्य वैशेषिक के वचन भी भिन्न अर्थविषयक हैं, इस में काम नहीं आते ॥

४-जो वेद का अर्थ ब्राह्मण सूत्रादि ग्रन्थों के अनुकूल है वही सम्भव है । अन्य स्वामी वा अन्य किसी का नहीं ॥

५-पिण्डपितृयज्ञ जीवतों में कभी नहीं घट सकता किन्तु मृतों में ही घटता है । यह नियम नहीं है कि "मृत" शब्द के बिना "मृत का अर्थ" नहीं लिया जा सके ॥

६-अपने पितरों की नित्य सेवा का नाम श्राद्ध है वा नहीं ? यदि है तो उस की क्या विधि है और लेखप्रमाण क्या है ?

७-शतपथ में पिण्डपितृयज्ञ में मनुष्यों से पितरों को भिन्न लिखा है । इस से उन्हें के लिये पिण्डदान है, जीवते मनुष्यों के लिये नहीं ॥

८-आश्वलायन मनुआदि के श्राद्धप्रतिपादक वचन वेदानुकूल ही हैं । जो वेदविरुद्ध बतावे वह विरोध दिखलावे ॥

९-आप के मत में नित्यश्राद्ध क्या है और कहां लिखा है, लिखिये ॥

ह० भीमसेन शर्मा

समाज ने दोनों के उत्तर ये दिये थे:-

ओ३म्

(पत्र सं० १ ता० २१ । २ । ०९)

१-वैशेषिकादिष्वचनानिनाऽप्रामादिकानि । तत्र-अथातो धर्मव्याख्यास्यास्यः (वैशे०) यतोभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिं न धर्मः । तद्वचनादाम्नायस्यप्रामादयम् । बुद्धिपूर्वावाक्प्रकृतिर्वेदे । बुद्धिपूर्वोददातिः । इत्यादीनि सूत्राणि बहुशोधर्मसम्बन्धपराणि वेदसम्बन्धपराणि च सन्ति । तस्मान्नैतद्वक्तुं शक्यं यत्तानि शास्त्राणि विज्ञान- (फ़िलामफ़ी) परागयेवंति ॥

२-सददाति असावेतत्ते इत्यादि ब्राह्मणवचनानि जीवतां शुश्रूषाभोगनादिदानपराग्येव न मृतपराणि । मृतशब्दाऽदर्शनात् ॥

३-आयत्तपितर इत्यस्य सूत्रोक्तो विनियोगोऽमूलकः ॥

४-गर्दभेज्याया हिंसादोषदुष्टत्वात् हिंसायाश्च वेदविरुद्धत्वात् गर्दभेज्यावेदविरुद्धैव । यथा च पूर्वदिवसेऽस्माभिः प्रदर्शितो वेदमन्त्रः (अग्नेयं यज्ञमध्वरम्०) इति । अन्यच्च-यः पौरुषयेण क्रविषासमङ्केयो अश्ठयेन पशुना यातुधानः । योऽप्रयाया भरति क्षीरमग्नेतेषां शीर्षाणि हरमापिवृश्च (ऋ० १० । ८७ । १६) तदीयं सायणकृतभाष्यमपि च साधयति यन्मांसमक्षणपराराक्षसमवन्ति, निवारणी-

याञ्चते इति । तथा च पशुहिंसायावर्ज्यत्वे सिद्धे गर्दभेज्यादिहिंसाविशिष्टान धर्मा भवितुमर्हन्ति वेदविरुद्धत्वात् । जन्तुषु भिषिञ्चेदित्यादिना जीवितपक्षे न कोपि दोषः । न च त्यक्ते जीवात्मनां परलोकगतानां पितृत्वं प्राप्तानां पितृत्वात् तदर्थं एव पिण्डदानादिसाध्यसाधनस्य कर्तव्यत्वात् मृतदेहपरिणतविकृतरीगादिहेतुभूतानुशोचनाभिप्रायदत्ताहुतिर्न भवदभिमतपितृपरा । असावेतत्ते इति हि वाक्यं जीवितपरंतप्यैव योजनीयं यथा विवाहादीपाद्यं प्रतिगृह्यतानित्यादिवचनानि विद्यमानवराय दीयमानजलादिपराणि संगच्छन्ते ॥

आश्वलायनादयो न सर्वांशे प्रमाणीभूताः वेदविरुद्धांशेत्याज्यत्वात् ॥
आजमन्नाद्यकामः । २ । तैत्तिरं ब्रह्मवर्चसकामः । ३ । (आश्व० १ । १६)
इत्यादिषु वेदविरुद्धांशभक्षणप्रतिपादनात् ॥

ओ३म्

(द्वितीयं पत्रम्)

१-वैशेषिकादिविषये पूर्वपत्रेऽस्मान्निर्लिखितं तत्प्रश्यन्तु । तेनास्माकंपक्षसिद्धिर्भवत्खण्डनं च तेनायाति ॥

२-भारतप्रमाणेन वेदोनास्माभिः क्वापि खण्डितः पुनस्तथा भवत्खलो व्यर्थ एव । किञ्च हिंसाप्रतिपादकमनुवाक्यानां प्रक्षिप्तताऽस्माभिः प्रतिपादिता ॥

३-अस्योत्तरं प्रथमपङ्क्तिवत् ॥

४-विवादास्पदीभूतमन्त्रार्थे शतपथब्राह्मणवचनैर्नास्माकं विरोधः । अस्ति चेद्दर्शनीयः ॥

५-किमयं नियमोऽस्ति ? यन्मृतशठदन्तरापि मृताः शीघ्रं गृह्येत ? जीवितशठदन्तरा च जीवितार्थो न याच्यः ? एवं चेन्न ह्येत्यव्यवस्थाऽपक्ता न विध्यति ॥

६-जीवतां श्रद्धापूर्वकं सेवनं श्राद्धं तच्चाऽस्माभिः पूर्वमेव मन्त्रैः प्रतिपादितं न च तत्र मृताऽऽशङ्कापिसंभवति । श्राद्धशठदस्तु वेदेन दूषयते ॥

॥ ६-पितृणां जीवतां मनुष्यपदवाच्यत्वेऽपि विशिष्टसंबन्धार्थं द्योतकत्वे, निजपदेन प्रितृषु व्यवहारो न तेषां मनुष्यत्वबाधकः । यथालोकेऽपि पुत्रः स्वपितरं मनुष्यमेव जानन्नपि मनुष्यपदेन सम्बोधयति किन्तु पितृशठे नैव । एवमुपयोगेऽपि मनुष्याः सन्तो भिन्नेन र्पि शठदेन व्यवह्रियन्ते ॥

७-मनुष्यवनेषु श्राद्धप्रकरणे हिंसा दूषयते गोभिलीये आश्वलायनसूत्रे चातो हिंसाया वेदविरुद्धत्वाच्छ्राद्धस्य वेदविरुद्धताऽऽयाता । यथा-सांसाभिन्नाराः प्रियङ्गावविष्य-

न्तीति (गोभि० ४।२।१३) एवं मनुस्मृतौ-द्वौनासीमत्स्यमांसेनेत्यादिद्रष्टव्यम् ॥
८-अस्मन्मतेनित्यग्राह्यवेदविहितपूर्वप्रतिपादितमेवयजुर्मन्त्रैः ॥

प्रधान आर्यसमाज-आगरा

पृ० ४० में मुद्रित पं० भी० के पत्र का उत्तर-

अर्थ-१-वैशेषिकादि के वचन अप्रासङ्गिक नहीं हैं । उन में-

अथातोधर्मव्याख्यास्यामः (वैशे० १।१।१) यतोभ्यु-
दयनिःश्रेयससिद्धिःसधर्मः ॥ तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम् ॥
बुद्धिपूर्वावाक्प्रकृतिर्वेदे ॥ बुद्धिपूर्वोददातिः ॥

इत्यादि सूत्र बहुत हैं जो धर्म और वेद से सम्बन्ध रखते हैं। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि वे केवल विज्ञान (फिलासफी) के विषय में हैं ॥

२-(उददाति-असावेतत्ते) इत्यादि आह्वयवचन-जीवितों की शुश्रूषा और भोजनादिदानविषय में ही हैं । मृत विषय में नहीं । क्योंकि वहाँ “ मृत ” शब्द नहीं दीखता ॥

३-(आधत्त पितरः) इस का सूत्रोक्त विनियोग असमूलक है ॥

४-गर्दभेज्या के हिंसादोषयुक्त दुष्ट होने से और हिंसा के वेदविरुद्ध होने से गर्दभेज्या वेदविरुद्ध ही है । जैसा कि हम कल वेदमन्त्र दिखला चुके हैं कि (अग्ने यं यज्ञमध्वरम्० देखो पृ० ३१) ॥ और भी-

यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्ते यो अश्वेन पशुना यातुधानः ।
यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥

(ऋ० १० । ८७ । १६) इस मन्त्र का सायणकृतभाष्य भी सिद्ध करता है कि मांसभक्षी राक्षस होते हैं और वे निवारण करने योग्य हैं ॥ जब इस प्रकार पशुहिंसा का वर्जनीय होना सिद्ध हुआ, तब वेदविरुद्ध होने से गर्दभेज्यादि हिंसाविशिष्टकर्म, धर्म नहीं हो सकते ॥

(अनुषेभिविध्वत्०=भोजन करने वाले को जल दे) इत्यादि (शतपथ०) से जीवित पक्ष में कोई दोष नहीं आता ॥ आप के पक्ष में परलोक की गये, हुवे पितृ बन चुके हुवे, जीवात्माओं का नाम पितृ होने से, और उन्हीं के निमित्त पिण्डदानादि साध्य (दावा=प्रतिज्ञा) की सिद्ध करना (आप का) कर्तव्य होने से, मृतक देह के परिणत विकारयुक्त रोगादि के हेतु अ-
युओं की शुद्धि के अभिप्राय से दी हुई आहुति आप के माने हुवे पितरों

के विषय में नहीं है ॥ (असावेतसे०) इत्यादि वाक्य की जीवितपक्ष में उसी प्रकार समझना चाहिये, जिस प्रकार विवाहादि में वर की (प्रति-गृह्यताम्=जीजिये) कह कर विद्यमान वर के लिये दिये जाने वाले गलादि (पाद्य अर्घ्य आचमनीय मधुपर्क गोदानादि) के विषय में सकल होते हैं ॥
आश्वलायनादि सर्वांश में प्रमाण नहीं, क्योंकि वेदविरुद्धांश में त्याज्य हैं ॥

आजमन्नाद्यकामः ॥२॥ तैत्तिरंब्रह्मवर्चसकामः ॥३॥

(आश्वलायन० १।१६) इत्यादि सूत्र वेदविरुद्ध मांसभक्षण का प्रतिपादन करते हैं ॥
रामप्रसाद-प्रधान आर्यसमाज

पृ० ४०-४१ में छपे पं० भी० जी के द्वितीय पत्र का उत्तर-

अर्थ-१-वैशेषिकादि के विषय में इस पूर्व पत्र (पृ० ४१ व ४३) में लिख चुके हैं उसे देखिये । उस से हमारे पक्ष की सिद्धि और आप के पक्ष का खण्डन आता है ॥

२-भारत के प्रमाण से हमने वेद का खण्डन कहीं नहीं किया, फिर (आप का) वैसा लिखना व्यर्थ ही है । किन्तु हमने हिंसा प्रतिपादक मनुवाक्यों की प्रसिद्धता दिखलाई थी (देखें पृ० ३८ पं० १ से) ॥

३-इस (वैशेषिक के वचन भिक्षार्थपरक हैं) का उत्तर संख्या १ के समान (जानिये) ॥

४-जिस मन्त्र के अर्थ पर विवाद है, उस का शतपथब्राह्मण हमारे विरुद्ध नहीं । यदि है तो विरोध दिखलाइये ॥

५-क्या यह नियम है कि "मृत" शब्द के बिना भी "मृतक का अर्थ" लिया जावे और "जीवित" शब्द के बिना "जीवितार्थ" न लिया जावे ? यदि ऐसा हो तो बड़ी भारी अव्यवस्था आवेगी ॥

६-जीवितों की श्राद्धपूर्वक सेवा श्राद्ध है । जो हमने प्रथम ही (पृ० १३ में) मन्त्रों से सिद्ध कर दी है और उस में " मृत " की श्रद्धा तक भी नहीं बनती । परन्तु हां, श्राद्ध शब्द तो वेद में नहीं दीखता ॥

॥ ६-जीवितपितृजन यद्यपि मनुष्यपदवाच्य हैं, परन्तु तथापि विशेष सम्बन्ध (रिश्ते) का अर्थ जतलाने वाला होने पर, भिन्न पद से पितृजनों में व्यवहार होना, उन के मनुष्यत्व का बाधक नहीं । जैसे लोक में भी पुत्र अपने पिता को " मनुष्य " जानता हुआ भी " मनुष्य " शब्द से नहीं पु-

कारता, किन्तु पिता शब्द से व्यवहार करता है। ऐसे ही ऋषि भी यद्यपि मनुष्य हैं, परन्तु भिन्न “ ऋषि ” शब्द में बोले जाते हैं ॥

७-मनु के श्राद्धप्रकरणस्थ वचनों में भी हिंसा देखी जाती है। और गोमिलीय तथा आश्वलायनसूत्र में भी। इन कारण हिंसा के वेदविरुद्ध होने से भी (आप के अभिमत) श्राद्ध को वेदविरुद्धता आई ॥ जैसे कि—

मांसाभिधाराः पिण्डा भविष्यन्तीति (गोभि० ४। २। १३)

ऐसे ही मनुस्मृति में भी—

द्वौ मांसौ मत्स्यमांसेन० (३। ६८)

इत्यादि, को (हिंसापरायण) देखिये ॥

८-हमारे मत में जो नित्यश्राद्ध वेदविहित है सो पूर्व (पृ० १३ में) यजुर्वेद के (२। ३२-३४) मन्त्रों से सिद्ध कर आये हैं ॥

रामप्रसाद प्रधान आर्यसमाज-आगरा

पूर्व पत्र का उत्तर पं० भीमसेन जी की ओर से—

१-वैशेषिकादिवचांसिनश्चाहुर्कर्मविदधतिनचप्रतिषेधन्ति। सन्तुसामान्येनधर्म-पराणिविशेषतश्चभीमांसादीनिकर्मकारहंसमर्थयन्ति।

२-मनुष्येभ्योभिक्षाःपितरस्तेषामेवशतपथंपितृयज्ञोनचजीवन्तोमनुष्यामनुष्येभ्योभिक्षाभक्षितुमर्हन्ति।

३-गर्भेज्यादिकर्माणिभिक्षकालार्थान्यपियथावेदानुकूलानितथापूर्वमेवास्माभिरुक्तम्।

४-विनियोगोनास्त्यमूलकोऽपितुभवतांसर्वमेवकथममूलकमस्ति।

५-मांसभक्षिणोराक्षसाइतितुसर्वास्तिकसम्मतम्। तेननयज्ञोविरुध्यते नयज्ञोमांसभक्षणमुद्दिश्यतेनचमवदुदाहृतमन्त्राभ्यांतत्पाशुकांकर्मविरुध्यते।

६-तद्यथाजक्षुषेऽभिषिञ्चेदित्याकंमृतपरमेवपितरोमनुष्येभ्योभिक्षाइतिशतपथे दर्शनात्।

७-मृतदेहागुशोधनायाहुतिरिनि किमत्रप्रमाणंकथमसमञ्जसंकल्प्यते।

८-मनुष्येतरत्वात्पितृणाममावेतत्तइत्यादिपदानिमृतपराणिभिद्धान्येव।

९-आश्वलायनादिवाक्यातिथदिवेदविरुद्धानितर्हि कस्माद्देदाद्विरुद्धानीतिदर्शयत नोचेन्मौनमास्ताम्। स्मरन्तुप्रकरणान्तरकरखातप्रतिज्ञासंन्यासदोषग्रस्ताभवन्तः।

ह० भीमसेन शर्मा

पृ० ४३ में मुद्रित समाज के पत्र का उत्तर—

- १-अर्थ—वैशेषिकादि के वचन न तो श्राद्ध को सिद्ध करते, न निषिद्ध करते हैं। सामान्य से धर्मविषयक हों, विशेषतः नीमांसादि कर्मकाण्ड का समर्थन करते हैं ॥
- २-मनुष्यों से पितर भिन्न हैं, उन्हें का शतपथ में पितृयज्ञ है, और जीवते मनुष्य मनुष्यों से भिन्न नहीं होसकते।
- ३-गर्दभेज्यादि कर्म यद्यपि अन्य समयों के लिये हैं, और जैसे वे वेदानुकूल हैं वैसा हमने पहले कह दिया है।
- ४-विनियोग असूलक नहीं है किन्तु आप का ही सब कथन असूलक है।
- ५-यह सब आस्तिक मानते हैं कि मांसभक्षी राक्षस कहाते हैं, उस से यज्ञ की विरुद्धता नहीं, यज्ञ का उद्देश मांसभक्षण नहीं और आप के उदाहृत दोनों मन्त्रों से वह पशुसम्बन्धी कर्म विरुद्ध नहीं है।
- ६-(तद्यथा जस्रु०) यह मृतपरक ही है। क्योंकि शतपथ में पितर मनुष्यों से भिन्न हैं, ऐसा देखा जाता है।
- ७-मृतदेह के अनुशोधनार्थ आहुति है इस में क्या प्रमाण है। क्यों खेदंगी कल्पना की जाती है।
- ८-मनुष्यों से पितरों के भिन्न होने से (असावे०) इत्यादि वाक्य मृतपरक ही सिद्ध हैं।
- ९-आश्वलायन के वचन यदि वेदविरुद्ध हैं तो किस वेदमन्त्र से विरुद्ध हैं। यह दिखलाओ, नहीं तो चुप होजाओ। स्मरण करो कि प्रतिज्ञान्तर करने से प्रतिज्ञासंन्यास दोष में आप लोग फँस गये ॥ इ० भीमसेन शर्मा

इस का उत्तर समाज ने दिया कि—

ओ३म्

- १-मृतपितृषुभाषणसमर्थनं नक्वापिलेखेन सवद्विरद्यावधिकृतम् । नापिमृतेषु वक्ष-
परिधानादिकंसमर्थितं नक्वापिलेखे ॥
- २-मनुष्येभ्यो भिन्नत्वव्यवस्थापितृणां कृतपूर्वास्माभिः ॥
- ३-गर्दभेज्यादि (कर्माणि) किं कालार्थानि, यत्कालार्थानि तस्मिन्काले वेदाभा-
सकथा । आश्वेततद्विरोधवारणाय तत्समयेऽपि कीदृतेरासीत् ॥
- ४-अस्माकं किं कल्पनं मूलवेदविरुद्धं पितृयज्ञविषये ?

५-यदि मांसभक्षिणो राक्षसा इति स्वीकारे, अस्मिन्निखितमन्त्रद्वयप्रतिपादितमांस-
भक्षणनिषेधस्वीकारे च पाशुकं कर्म कथं न विरुद्धम् ?

६-येदह्यन्ते ते देहा एव त एव चाग्निदग्धपदवाच्यास्तदर्थं एवाहुते विधानात्स्यष्टैव
तैर्मन्त्रैरेव देहदाहाहुतिः ॥

७-मांशलायनमनुगोभिलादिवचस्सुश्राद्धप्रकरणोक्तं मांसं वेदाद्विरुध्यते तस्मात्तदु-
क्तं श्राद्धं वेदविरुद्धमिति सिद्धम् । न च तत्र प्रकरणान्तरगमनम् । यदिसृतशब्दानु-
पादानेऽपि मृताभिप्रायोग्यते तत्र न द्विस्तदानिम्नाङ्कितस्थले कथं न मृताऽभिप्रा
योग्यते ? :-

१-मानोवधीः पितरं मोतमातरम् (य० १६ । १५)

२-मानस्तोकेतनयेमान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः । (य० १६ । १६)

३-प्रियं माकृणु देवेषु० (अथर्व० १९ । ७ । ६२ । १) इत्यादिषु मृतानां पितृणां
मातृणां, लोकानां, तनयानां, गवाम्, अश्वानां, देवानां, राज्ञां न कस्मान्न ग्रहणम् ? ।

४-सम्भवाऽसंभवयोः संभवे कार्यसंप्रत्ययः कर्तव्यस्तस्मान्मृतपदानुपादाने जी-
वितार्थग्रहणं सुकरसेव ॥

अथ शूलगवः (आश्व० ४ । ९ । १) इत्यादिषु तु गोहिंसापि भवद्भिन्ना मांशलाय-
नादिलिखितास्वीक्रियते किम् ?

ह० प्रधान आर्य समाज-आगरा

अर्थ-मृतपितरों के "खोलने" का समर्थन अभी तक आपने किसी लेख में भी
गहीं किया है और न मुरदों में वस्त्र पहनने का समर्थन किसी लेख में किया है ॥

२-मनुष्यों से पितरों के भिन्न होने की व्यवस्था हमने (पृ० ४४ पं० २६ से)
कर दी है ॥

३-गर्दभेज्यादि कर्म किस काल के लिये हैं ? जिस काल के लिये हैं ।
उस काल में वेद थे या नहीं ? यदि थे तो उन वेदों से विरोध दूर करने
का उस समय में भी क्या हेतु था ?

४-प्रितुवञ्च विषय में हमारी कौनसी कल्पना मूलवेद के विरुद्ध है ?

५-यदि मांसभक्षियों का राक्षसत्व स्वीकृत है, और हमारे लिखे (पृ०
४३) दोनों मन्त्रों में प्रतिपादित मांसभक्षणनिषेध भी स्वीकृत है तो फिर पशु-
सम्बन्धी कर्म विरुद्ध कैसे नहीं है ?

६-जो दग्ध क्रिये जाते हैं, वे देह हैं, और वेही अग्निदग्ध पद के अर्थ
हैं, जो उनही की क्षुद्धि के लिये आहुति का विभाग होने से, उन्हीं मन्त्रों
से देहदाहाऽऽहुति रूप से सिद्ध है ॥

७-आश्वलायन मनु गोभिलादि के वचनों में आहुप्रकरणोक्त मांस वेद से विरुद्ध है, इस कारण भी उन का कहा आहु वेदविरुद्ध सिद्ध हुआ । और प्रकरणान्तर में जाना भी नहीं हुआ ॥ यदि आप मृत शूद्र के बिना भी मृतक का अर्थ लगाते हैं तो निम्नलिखित स्थलों में मृताऽभिप्राय क्यों नहीं ग्रहण करते?

१-मानोवधीः पितरम्० (यजुः० १६ । १५) २-मान-
स्तो के तनये मानमायुपिमानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः । इत्यादि
(य० १६ । १६) ३-प्रियं मां ऋणुदेवेषु (अथर्व १९ । ७। ६२।१)

इत्यादि में मरे हुए पितरों, माताओं, बच्चों, पुत्रों, गीवों, घोड़ों, देवों और राजाओं का ग्रहण किस कारण नहीं ?

४-संभव असंभव में से संभव में कार्य मानना चाहिये, इस कारण मृत पद न होने पर जीवितार्थ ग्रहण करना सुगम ही है ॥

अथ शूलगवः

(आश्व० ४ । ९ । १) इत्यादिकों में तो गोहिंसा भी आप के जाने हुवे आश्वलायनादि में लिखी है तो क्या आप मानते हैं ?

(रामप्रसाद) प्रधान आर्यसमाज-आगरा

पं० भीमसन जी ने पृ० ४४ में छपे पत्र का
उत्तर दिया कि-

१-वैशेषिकादिविषये मया पिरुपष्टमेव लिखितम् । येन युष्माकं पक्षो निगृहीत एव ।

२-यज्ञियवेदे रूपष्टमेव पाशुकं कर्मास्तितेनास्त्येव विरोधः । असत्यपि प्रसङ्गत्यागे प्रतिज्ञाहानिर्दीर्घायात्येव भवत्सु ॥

३-अस्याऽप्युत्तरं प्रथमसंख्यावदेवास्ति ॥

४-सूत्रग्रन्थस्थविनियोगपरित्यागे भवदन्तिके किं प्रमाणम् । नास्ति चेत्स एव विरोधः

५-मनुष्येतरत्वात् पितृणां मृतग्रहणं सु रूपष्टमेव तेनागत एव मृतनियमः ॥

६-जीवतां आहुविषये यत्पूर्वं भवद्भिरुक्तं तथैव खण्डितमपि मया । बहवो भवदभि-
मता अपिशूद्रावेदे न दृश्यन्ते तेन किम् ॥

७-मनुष्याद्भिक्ताः पितरो न सन्ति चेन्मनुष्यपदेन किमर्थं न स्वीकृता भिक्तत्वेन प्रति-
पादने कोऽपि हेतुर्भवद्भिर्ना क एव तस्मात्पितृणां भिक्तत्वे मृत आहुंसिद्धमेव ।
नास्ति भवदन्तिके प्रमाणं किमपि ॥

८-यदि भवत्कथनमात्रान्मन्वादि वचांसि वेदविरुद्धानि तर्हि सत्कथनात् सर्वं भव-
त्कथनं वेदविरुद्धमस्त्विति ।

९-पूर्वभवाद्भिः पिण्डपितृयज्ञमन्त्रादर्शितायत्करणमभावाद्यायां स्वीकृतमपि ।
नित्यश्राद्धप्रमाणं च भवत्सन्निधौ नास्तीति निरस्तो भवत्पक्ष इति सावधान-
तया प्रत्यगात्मनि विचारणीयमित्याशासे । ६० भीमसेन शर्मा

अर्थ—वैशेषिकादि के विषय में मैंने भी स्पष्ट ही लिखा है जिस से तु-
झारा पक्ष गिर ही गया है ॥

२-यजुर्वेद में स्पष्ट ही पशुकर्म है, उस से विरोध है ही । प्रसङ्ग न त्यागने
पर भी आप में प्रतिज्ञाहानि दोष आता ही है ॥

३-इस का उत्तर प्रथम संख्या के तुल्य ही है ॥

४-सूत्रग्रन्थस्थ विनियोग के त्यागने में आप के समीप क्या प्रमाण है ?
यदि नहीं है तो वही विरोध है ॥

५-पितर मनुष्यों से भिन्न हैं, इस से मनुष्यों का ग्रहण स्पष्ट है ही, इस से
मृत का नियम आ ही गया ॥

६-जीवतों के श्राद्धविषयमें जो आपने पूर्व कहा वह मैंने उसी प्रकार खण्डित
भी किया । आपके अभिसक्त भी बहुतसे शब्द वेदमें नहीं दीखते, इससे क्या ।

७-यदि पितर मनुष्यों से भिन्न नहीं हैं तो मनुष्य पद से क्यों नहीं स्वीकार
किये गये । भिन्नभाव से प्रतिपादन में आपने कोई हेतु नहीं कहा । इस से पितरों
के भिन्नभाव में मृतश्राद्ध सिद्ध ही है । आप के पास कोई प्रमाण नहीं ॥

८-यदि आप के कथनमात्र से मनु आदि के वचन वेदविरुद्ध हैं तो मेरे
कथन से आप का सब कथन वेदविरुद्ध हो ॥

९-प्रथम आपने पिण्डपितृयज्ञ के मन्त्र दिखलाये थे, जिस का करना
अभावास्यामें स्वीकार भी किया था । और नित्यश्राद्ध का प्रमाण आप के पास
नहीं है, इस से आप का पक्ष गिर गया । यह सावधानता से अपने मन में
विचार कीजियेगा, यह आशा करता हूँ ॥ ६० भीमसेन शर्मा

इति ॥

वक्तव्य—

आज २१।२।०१ को तीसरे दिन का लेखबद्ध शास्त्रार्थ यहीं तक हुआ था, जिस में समाज का पत्र पृ० ४६ पं० २३ से लेकर पृ० ४८ पं० १५ तक में छपा हुआ अन्तिम पत्र था, इस का उत्तर पं० भीमसेन जी की ओर से नहीं हुआ था और ता० २२ को शास्त्रार्थ होता तो पं० जी उत्तर देते। तथा पृ० ४८ पं० १६ से पृ० ४९ तक छपे हुए पं० भीमसेन जी के अन्तिम पत्र का उत्तर समाज से भी ता० २२ को ही मिलता, क्योंकि २१ ता० को शास्त्रार्थ का समय पूर्ण होगया था। सायंकाल को नित्य नियम के अनुसार दोनों पक्षवालों ने अपने २ पक्ष प्रतिपक्षों को व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया, ओताओं ने तीनों दिन के व्याख्यानों से स्वयं शास्त्रार्थ का परिणाम समझ लिया होगा। इस पं० भीमसेन जी के समान अपने मुख से अपने विजय और पराये पराजय की दुन्दुभि खजाना उचित नहीं समझते क्योंकि बादी या प्रतिवादी के कहने से जय पराजय नहीं हो सका किन्तु मध्यस्थ के कहने से होता है तदनुसार इस शास्त्रार्थ में एक पुरुष मध्यस्थ न था किन्तु सर्वसाधारण ही मध्यस्थ थे, अतः इस लेखबद्ध के पढ़ने और व्याख्यानों के सुनने वालों की ही जय पराजय के निर्णय का अधिकार है जो सब जानलेंगे और ओताओं ने जान लिया।

ता० २१ को लिखे समाज के अन्तिमपत्र का उत्तर जो ता० २२ के शास्त्रार्थ में पं० भीमसेन जी को देना था, सो २२ को शास्त्रार्थ न किया किन्तु अपने स्थान से ही उत्तर लिखलाये और सायंकाल को समाज में दे दिया। यद्यपि यह उत्तर नियमविरुद्ध स्थान से लिखकर लाया हुआ इस शास्त्रार्थ का भङ्ग नहीं है और समाज को लेना भी आवश्यक न था परन्तु समाज ने पं० भीमसेन जी के सन्तोषार्थ ले लिया जिस को नीचे प्रकाशित भी किये देते हैं। पाठक देखेंगे कि उस से हमारे प्रश्नों का उत्तर कहां तक सन्तोषदायक होता है। यह पत्र लेना आवश्यक हम लिये न था कि वास्तव में ता० २२ को नियमानुसार दोनों पक्ष वाले बैठते तब वही नियमानुसार इस को पं० भीमसेन जी लिखते और पृ० ४८।४९ में छपे उन के पत्र का उत्तर समाज भी उसी समय देता। परन्तु पं० भीमसेन जी ने शास्त्रार्थ तो उस दिन न किया किन्तु स्थान से उत्तर लिख कर हम लिये भेज दिया कि ऐसा करने से ता० २१ के अन्तिम पत्र और इस अपने स्थान पर से लिखे पत्र (इन दोनों पत्रों)

का उत्तर समाज की ओर से शून्य रहे तो समाज निरुत्तर समझा जावे । परन्तु सत्याभ्युत्थ के निर्णायार्थी को ऐसा करना उचित नहीं । इन दो पत्रों से क्या फल निकलेंगा जब कि ३ दिन तक शास्त्रार्थ हुआ और तभी कुछ मृतश्राद्ध के वेदोक्त प्रमाण न मिल सके ॥

ता० २२ की कथा सुनिरे—९ बजे से शास्त्रार्थ का नियत समय था ९ ॥ बजे पं० भीमसेन जी शास्त्रार्थ के स्थान अनायालय में आये और अन्य दिनों के समान सभान के भीतर पुस्तक भी न लाये, गाड़ी में ही छोड़ आये, जानों अपने घरसे ही आज शास्त्रार्थ का विचार त्याग आये हों । आकर कहा कि तुम्हारे सभापति कहाँ हैं । उत्तर दिया गया कि पण्डित लोग हैं ही, सभापति जी के न आने से कोई हानि नहीं । कल और परसों भी तो सभापति जी नहीं आये थे, आप के शास्त्रार्थ में क्या विघ्न पड़ा ? इस्ताकर वे सब पक्षों पर करदंते हैं, आज भी करदेंगे । परन्तु वे न माने तब पं० कृपाराम जी पं० भीमसेन जी आदि कई पुरुष समाज के सभापति के स्थान पर गये । पं० भीमसेन जी ने धार २ पूछा गया कि क्या विघ्न होजायगा, बताइये तो सही । कुछ न बताया, तो यह भी कहा गया कि आप जिस कारण से शास्त्रार्थ को रोकना ही उचित समझते हैं उसे लिख कर दें, इसे भी स्वीकार न किया । अन्त में सभापति जी ने कह दिया कि आप हटते हैं तो जाने दीजिये, विघ्न हम भी नहीं चाहते ॥

११ बजे पं० भीमसेन जी घर को लौटगये और दोपहर को ही १ छपा हुआ विज्ञापन धर्मसभा आगरा का निकला कि पं० भीमसेन जी मुहल्ला खिलीटूट में व्याख्यान देंगे इत्यादि जिस से पायागया कि ता० २१ की रात्रि में ही वे धर्मसभा में व्याख्यानदि का यह निश्चय कर चुके थे और उस समय में आर्य-समाजमन्दिर में शास्त्रार्थविषयक व्याख्यान नहीं देना पहले ही से मान लिया था । नहीं तो ११ बजे जाकर थोड़ी ही देर में छपा छपाया विज्ञापन नहीं निकलता किन्तु बहुत जल्दी करते तो सायंकाल तक छपता ॥

शास्त्रार्थ से बाध्य पं० भीमसेन जी का पत्र यह था:—

१—मृतपितृषुभाषणं सम्भवति प्राणभाषणवत् । ह्यन्दीग्यलेखेन यथाप्राणोभाषते तत्समाहिताः शृण्वन्ति तद्दत्रापि समाहिताः श्रद्धालव एव पितृपदेशं शृण्वन्ति मृतेषु मूत्रपरिधानमेव वासः परिधानं प्रमाणमिदम् । न च प्रमाणसिद्धं प्रत्यक्षादिना बाध्यते ।

२-मनुष्याएव पितर इत्यत्र न किमपि प्रमाणं भवद्भिरुदीरितम् । न च भवत्कथनं प्र-
माणाहं साध्यत्वात् ।

३-गर्दभेज्यादिकर्मण्यधिकारिकालार्थानि वेदाश्चामन् वेदानुकूलानि च तानि ।
परिहृतो मया विरोधः पूर्वम् ।

४-मूलवेदे अग्निष्वात्तमृतादि पितृयज्ञपरमन्त्रस्थपदैः स एवार्थः सूच्यते यो ब्राह्मण-
सूत्रादिषु स्पष्टीकृतस्मृतस्मात्सर्वस्माद्भवत्कल्पनं विरुद्धमस्त्येव ।

५-पाशुककर्म घर्मीदृष्टं यज्ञान्तर्गतं न तत्र मांसभक्षणोद्देशः । यत्र मांसभक्षणोद्देश-
स्तद्राक्षसंकर्म ॥

५-पितृपदवाच्यादेहसम्बद्धा एव । दग्धाः परमाण्यो योन्यन्तरे पितृरूपेण परिणता
भवन्ति तेषु पितरोऽग्निदग्धा अग्निष्वात्ता वा ।

७-आश्वनायनादिमूत्रेषु आहुप्रकाशस्थं मांसं वेदानुकूलं न विरुद्धं वेदं मांसप्रतिपादन-
स्य दूष्टवत्त्वात् । तच्चान्ययुगार्थमतो न दोषाय । भवत्कथनमेव वेदविरुद्धं आ-
हुन्तु वेदानुकूलमेवास्ति । दुर्जनतोषन्यायेन स्वीकृतेऽपि मांसरहितं आहुं किमङ्गी-
क्रियते ॥

८-मानोषधीरित्यादीनि वचांसि न पितृयज्ञप्रकरणस्थान्यतो न मृतपित्रादिपराणि

९-तत्र मृतजीवितयोर्मतेष्वेवार्थः सम्भवति सम्भवः ।

१०-शूलगवाद्योयज्ञावेदानुकूला एव भिन्नकालीनाः कलिषज्याः संप्रत्यकर्तव्या एव ॥

ह० भीमसेन शर्मा

अर्थ-मृत पितरों में बोलना ही मकना है । जैसे प्राण का बोलना ।
छान्दोग्य के लेख से जैसे प्राण बोलता है उसे एकाग्रचित्त जाने सुनते हैं
वैसे ही यहां भी समाहित श्रद्धालु ही पितरों का उपदेश सुनते हैं । मृतों
में मृत पहरना ही बख पहरना प्रमाणबिद्ध है और प्रमाणबिद्ध को
प्रत्यक्षादि हटा नहीं सकते ॥

२-मनुष्य ही पितर हैं, इस में आप ने कोई प्रमाण नहीं दिया । और
साध्य होने से आप का कथन प्रमाण नहीं ॥

३-गर्दभेज्यादि कर्म अधिकारों लोगों के समय के लिये थे, वेद भी थे
और वे कर्म वेदानुकूल भी थे, मैं विरोध का परिहार पूर्व कर चुका हूं ।

४-मूलवेद में अग्निष्वात्तमृतादि पितृयज्ञमन्त्रस्थ पदों से वही अर्थ सू-
चित होता है जो ब्राह्मण सूत्रादिकों में स्पष्ट किया गया है । उस सब से
आप की कल्पना विरुद्ध है ही ॥

५-पशुवधसम्बन्धी कर्म का उद्देश धर्म है, जो यज्ञ के अन्तर्गत है, उस में मांसभक्षण उद्देश (मुख्य तात्पर्य) नहीं होता । जिस (पशुवध) में मांस खाना उद्देश हो वह राक्षस कर्म है ।

६-देहसम्बन्धी परमाणु जो पितृ हैं, वे ही दग्ध होकर दूसरी योनि में पितृ बनते हैं, वे ही पितर अग्निदग्ध वा अग्निष्वात्त हैं ।

७-आहुप्रकरण में आश्वलायनादि सूत्रों में कहा मांस वेदानुकूल है, विरुद्ध नहीं, क्योंकि वेद में मांस का प्रतिपादन देखा जाता है । और वह अन्य युग के लिये है, इस लिये दोष नहीं । आप का कथन ही वेदविरुद्ध है, आहु ती वेदानुकूल ही है । दुर्जनतोष न्याय से स्वीकार भी किया जाय तो मांसरहित आहु को क्या मानियेगा ॥

८-" मानोवधीः " इत्यादि वचन पितृयज्ञप्रकरण के नहीं हैं । इस से वहाँ सूत अर्थ नहीं लिया जाता ।

९-मरों और जीवतों में से मरों में ही सम्भव अर्थ है ।

१०-"शूलगवादि" (गोहिंमायुक्त) यज्ञ भी वेदानुकूल हैं परन्तु अन्य काल के लिये हैं, कलियुग में वर्जित हैं, आज कल करने नहीं चाहिये ॥

इ० भीमसेन शर्मा

धन्य हो ! अब भेद खुला कि आप ती आहु क्या, सभी पौराणिक और तान्त्रिक लीला को मानते हैं ॥

१-वैशेषिकादि के वचनों का आपने अपने पक्ष में क्या अविरोध किया जब कि वे शास्त्र धर्मविषयक होने से न ती अप्रामाणिक हैं, न उन में कहे युक्ति और तर्क तथा बुद्धिपूर्वकत्व को ही आपने माना है, अलौकिक अर्थ कह कर टाल दिया है ॥

२-यजुर्वेद का वह पशुवध कर्म किसी मन्त्र से दिखलाया होता ती उस पर विचार किया जाना ।

३-सूत्रग्रन्थ के विनियोग का मूग से सम्बन्ध ही नहीं, सूत्र कहता है कि पिण्डों पर तागा चढ़ाओ, वेदमन्त्र कहता है कि " पितरो ! यह वस्त्र पहनिये " यह विनियोग ऐसा है, जैसा कि " शक्तोदेवीः० " इस मन्त्र के पदों (आपो भवन्तु पीतये)"जल होवें पीने के लिये"से आचमन में विनियोग ती सार्थक है परन्तु इस को अटकल पचू शनैश्चर का मन्त्र बताना कटपटांग

है। ऐसे ही “ पत्नी मध्यम पिण्ड खावे ” यह भी मूलमन्त्र से विरुद्ध है।

४-पिता को मनुष्य नाम से कोई व्यवहार नहीं करता भी आदरार्थ है, न कि पिता मनुष्य नहीं है। इसी प्रकार पितृयज्ञ मनुष्ययज्ञ के अन्तर्गत नहीं मानना आदरार्थ है। न कि पितर मनुष्यों में भिन्न हैं।

५-मनुस्मृति के मृतश्राद्ध को हम अपने कथनमात्र से अवैदिक नहीं बताते किन्तु आप उन का मूल वेद में नहीं दिखला सकते इस से अवैदिक ही रहा।

६-जो मन्त्र हमने पृ० १३ में नित्य पितृसेवा के दिखलाये थे, उन मन्त्रों का ब्राह्मण कहता है कि अमावास्या के नैमित्तिक पितृयज्ञ में उन मन्त्रों को अमुक २ अन्न जलादि देने के कार्य में पढ़ना होता है। हम से यह नहीं आया कि उन मन्त्रों का अर्थ यही है कि अमावास्या के ही दिन पितृजनों की श्राद्धपूर्वक सेवा की जावे। जिस प्रकार विवाह में (महरेतो दधावहै= साथ वीर्य को रखें हम दोनों) इत्यादि मन्त्र का विनियोग विवाह संस्कार में होने पर भी यह तात्पर्य मन्त्र का नहीं है कि इसे विवाह में ही पढ़ दो, किन्तु स्त्री पुरुष के सदा के व्यवहार का भी वर्णन है। इसी प्रकार इन मन्त्रों का ब्राह्मणानुसार अमावास्या के पितृयज्ञ (विशेष कार्य) में विनियोग होने पर भी नित्य पितृसेवा का अर्थ दूर नहीं होता। इस से सिद्ध हुआ कि पृ० १३ में छपे हमारे दिये मूल मन्त्र प्रमाणों से नित्य पितृजनों का सत्कार विहित है। और ब्राह्मणानुसार विद्यमान पिता आदि को देवयज्ञ (अग्निष्टोमादि) के अन्तर्गत पितृयज्ञ में इस प्रकार मन्त्रविनियोगपूर्वक सत्कार विहित है कि (जक्षुषेभिषिञ्चेत्) “शतपथे” भोजन से पूर्व जल से हस्त पादादि धुलावे। (अमावेतत्ते) इस वाक्य को कह कर कि “आप के लिये यह भोजन है” भोजन दे। भोजन कर चुकने पर फिर जल से प्रत्यक्षनेजन=कुक्षा आदि को जल दे। इस सब ब्राह्मण में भी मृतकों को देना नहीं लिखा।

७-छान्दोग्य का वह पाठ आप ने प्रमाण में नहीं दिया जिस से प्राण के भाषण के तुल्य मृत सूक्ष्म परोक्ष=आंख आदि इन्द्रियों से न जानने योग्य आप के माने हुवे पितरों का बोलना सिद्ध होता। वर्णोच्चारण शिक्षा मात्र पढ़े लोग भी जानते हैं कि-

आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया

इत्यादि का तात्पर्य यही होसकता है कि बोलने से वक्ता का तात्पर्य श्रोता को समझाने का होता है। फिर आप के अभिमत सूदन पितर जब अन्य लोक और अन्य योनि के सूदन देहधारी अतीन्द्रिय हैं तो उन की भाषा मनुष्य की भाषा न होने से मनुष्य समझ नहीं सकता, फिर बोलना ठयर्थ हुआ। इस लिये वेद में मृत शब्द न होने पर भी जो आप ने मृत की कल्पना की सो आप की कल्पना वेद पर ठयर्थता का दोष लगाने वाली होने से भी वैशेषिकादि के ऋषिषध्वनों से विरुद्ध हुई। जिस के सुनने में जो असमर्थ है वह श्रद्धालु होने पर भी नहीं सुन सकता। सूत्रकार ने मन्त्र के “वस्त्र” को छोड़ कर मृत के तागे (धागे) की यदि इस लिये माना हो कि पितर सूदन हैं उन को इलका वस्त्र चाहिये तो मृत का डोरा कितना ही इलका होने पर भी अतीन्द्रिय सूदन पितरों से तो भारी ही रहेगा। अतः पितर उस से दख मरेंगे। और पिण्ड भी इतना बड़ा २ गोला न खा सकेंगे किन्तु एक पिण्ड से सहस्रों पितर दख कर चकनाचूर होजायेंगे। और वस्त्र पितरों को पहनाना चाहिये न कि पिण्डों को ॥

८-गर्दभेज्या में गधा मारना वा शूलगव में गोवध करना वेद के किसी मन्त्र से विहित नहीं, न आपने कोई मन्त्र लिखा। कलियुग में वर्जित होना आदि भी आपने अन्यस्मृति वा पुराणों से लिया होगा। उन २ ग्रन्थों में तो कालभेद नहीं लिखा कि यह अमुक युग का धर्म है। और हमने जो (अग्ने यं यज्ञमध्वरमू०) इत्यादि दो मन्त्र लिख कर मांसभक्षण और यज्ञ में भी हिंसा न करना दिखलाया था, उस का आप के पास कोई उत्तर नहीं। अतः हिंसाशिविष्ट श्राद्ध वा अन्य यज्ञ वेदविरुद्ध सिद्ध हैं। मृतपितृ-यज्ञ के पिण्डदान का वेद वा शतपथ में प्रमाण न मिलने से आप का पक्ष सिद्ध नहीं हुआ। और कात्यायन आश्वलायन तथा मनु के वे २ वचन अवैदिक होने से माननीय नहीं ॥

९-आप का पशुकर्म यदि धर्मोद्दिष्ट है तो क्या उस में हुई वेदविरुद्ध हिंसा अधर्म होने से धर्मोद्देश का नाश करके अधर्म की प्रचारक नहीं हुई ?

१०-यह लिखना कैसा मनमाना है कि मृतक के शरीर के ही परमाणु दूसरी योनि में पितृशरीर बनजाते हैं। किञ्चित् सनातनधर्मी भी इस पर ध्यान देंगे। यदि यही परमाणु पितृयोनि का देह बनायें तो दशगात्र का

पिण्डदान आपके मन से विरुद्ध होगा। तथा यही स्थूलदेह पितरों के लक्षों देहों को प्रमाण देने योग्य है, फिर १ स्थूलदेह को फूटने से अनेक पितृ-शरीरों के लिये अनेक जीव भी मानने पड़ेंगे। तथा भस्मादिरूप से अनेक प्रमाणसमुदाय पृथिवी पर भी पड़े वा गड़े रहते हैं, उन के परित्याग से अन्यलोकस्थ पितर नहीं बनते ॥

इस शास्त्रार्थ में पं० भीमसेन जी ने वेदमन्त्र का केवल १ प्रमाण दिया था (ये अग्निदग्धाः०) इत्यादि। जिस में देह को जलाने वा न जलाने पर भी दूसरा जन्म होनेमात्र का वर्णन है। पिण्डों का वहां नाम भी नहीं ॥

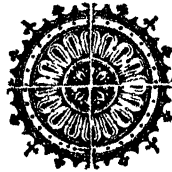
(२) शतपथ के सब प्रमाण सूक्तशब्द से रहित हैं। वे विद्यमान पिता आदि को भोजनादि देने का प्रतिपादन करते हैं ॥

(३) ब्रह्म मनुस्मृति के दो श्लोकों से अतिरिक्त आद्योपान्त पढ़ जाइये कोई प्रमाण सूत्रआहुत का समर्थक नहीं मिलेगा। मनुवचन वेदमूलक न होने से माननीय नहीं। न मनु से सूत्रआहुत पर विचार करने को यह शास्त्रार्थ हुवा था। किन्तु आत्माओं को तो यह आशा थी कि इतने दिन तक आर्य-समाज के मुख्य पण्डित बने रहने और आहुतविषय पर सति परिवर्तन होने के कारणभूत यज्ञ के दीर्घकालीन विचार करने वाले पं० भीमसेन शर्मा जी अवश्य कोई अनूठे वेदमन्त्रों के प्रमाण देना ही आशा निराशा होगई ॥

आर्यसमाज ने अपने पक्ष में—

- ५ वेदमन्त्र पृष्ठ १२ व १३ में,
- १ मनुवचन पृ० १७ में,
- २ वैशेषिकसूत्र पृ० १७ में,
- २ सांख्यसूत्र पृ० १७ में,
- १ निरुक्त० पृ० १८ में,
- ४ कात्यायनसूत्र परपक्षखण्डनार्थ पृ० २५ में,
- १ वेदमन्त्र (अग्निं दूतं पु०) पृ० २५ में,
- १ मनुवचन पृ० ३० में,
- १ वेदमन्त्र पृ० ३१ में परपक्षोक्त हिंसा के खण्डन में,
- १ महाभारत का प्रमाण पृ० ३८ में हिंसा की प्रक्षिप्तता में,

- ३ वैशेषिकसूत्र पृ० ४३ में,
१ वेदमन्त्र पृ० ४३ में मांसभक्षणनिषेध में,
२ आश्वलायन के २ सूत्र पृ० ४४ में,
१ गोभिलवचन पृ० ४५ में,
१ मनुस्मृति का श्लोक पृ० ४५ में,
२ यजुर्वेदमन्त्र और
१ अथर्ववेद का मन्त्र और
१ आश्वलायन का सूत्र पृ० ४८ में; ये सब ३१ वचन स्वपक्षमण्डन वा पर-
३१ पक्षमण्डन में दिये थे। पाठकलोग पढ़ कर स्वयं परिणाम निकाल लेवेंगे ॥



सस्ते पुस्तक ।

सामवेदभाष्य का पूर्वार्ध समाप्त हो गया । कमीशन छोड़कर हाकसहित ४)

मनुस्मृतिभाषानुवाद १॥)

सजिल्द १॥॥ सुनहरी छापा ५)

श्वेताश्वतरोपनिषद्भाष्य दर्शनीयभाष्य है

अवतक संस्कृत और भाषा में ऐसा

भाष्य दूसरा नहीं बना है मूल्य १-)

दयानन्दतिमिरभास्कर का उत्तर

“भास्करप्रकाश” २॥) कमीशन

छोड़कर २)

मूर्तिप्रकाशमसीता ८)

दिवाकरप्रकाश १)

विदुरनीति भाषाटीकास०-१) सजिल्द ३)

श्लोकयुक्त वैदिक निघण्टु ३)

वेदप्रकाश मासिकपत्र के प्रथम भाग

१ वर्ष का ॥२) द्वितीय ॥२) तृतीय ॥२)

चतुर्थ ॥२) चारों भाग साथ कमीशन

काटकर २) सजिल्द २॥)

संस्कृत स्वयंसिखाने वाली संस्कृतभाषा

प्रथम पुस्तक ॥) द्वितीय पुस्तक -)

तृतीय पुस्तक २) ॥ चतुर्थ ॥२) चारों

की कच्ची जिल्द ॥३) पक्की जिल्द ॥॥)

अगादिभाष्यभूमिकेन्दूपरागे

द्वितीयोऽंशः -) ॥॥

नियोगनिर्णय २)

अज्ञाननिवारण मूल्य -) ॥

मुक्ति और पुनर्जन्म -) ॥

सत्यार्थप्रकाशमङ्गल खालकों को ३)

वैदिकदेवपूजा प्रसिद्ध व्याख्यान -)

ईश्वर और उस की प्राप्ति -)

नमस्ते पर व्याख्यान ॥)

चाणक्यनीतिसार भाषा टीका -) ॥

प्रश्नोत्तररत्नमाला -)

भजनेन्दु-नयेखड़तालीभजनोंसहित -)

नालिकाविष्कार-जिस में प्राचीन तोप

बन्दूक आदि के प्रमाण हैं ॥॥

आर्यसमाज के नियम नागरी ३) १००

सेकड़ा, अंग्रेजी में १) १०० सेकड़ा

व्याख्यानका विज्ञापन-जो चार जगह

खानापुरी करके सब उपदेशकों के काम

में आता है २) १०० सेकड़ा

पौराणिकधर्म और श्रियार्मांकी ॥॥

विवाह समय घर बधू के पठनीय मन्त्र

अर्थसहित-इस में आर्यविवाहमङ्गल-

लाष्टक और विवाह तथा हवन की

सामग्री भी छपी है ॥॥

पञ्चकन्याचरित्र निगोशविषय में ॥

नागरी रोडर नं० १ मूल्य ॥

नागरी रोडर नं० २ मूल्य -)

रामायण का आल्लाखन्द दूसरा भाग ॥

लावनी फूट ॥

सन्ध्योपासन ॥ १०० का १) ५०० का ५)

पञ्चमहायज्ञमूल ॥ में दो, ॥२) के १००

और २॥) के ५०० तथा ४) के १०००

इकट्ठे लेकर बांटने योग्य हैं ।

आर्यचर्पटपञ्चुरिका प्रसिद्ध भजन ॥ के दो

३ आरती ॥ के ३ पुस्तक ॥२) के १००

२॥) में ॥) और १०) में ३) कमीशन छोड़े जायेंगे । सर्वसाधारण के सामवेद उप-

निषद्भाष्यादि पारमार्थिक और लौकिक सुधार के पुस्तक लेने का अच्छा अवसर है ॥

पता-तलमीरास खासी-मेरठ

